भारत सरकार Government of India

विधि एवं न्याय मंत्रालय Ministry of Law & Justice

विधि कार्य विभाग Department of Legal Affairs

आयकर अपीलीय अधिकरण INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

आयकर अपीलीय अधिकरण
सुलभ न्याय :। सत्वर न्याय :।।
Easy & Speedy Justice
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

बुलेटिन

जनवरी - दिसंबर 2013

BULLETIN

JAN – DEC 2013

केवल विभागीय प्रयोजन हेतु FOR DEPARTMENTAL PURPOSE ONLY

बुलेटिन

जनवरी - दिसंबर 2013

सत्यमेव जयते

श्री राजेन्द्र
लेखा सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संरक्षक

श्री एच. एल. कारवा
माननीय अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

मुख्य संपादक

श्री राजेन्द्र
लेखा सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई

उप संपादक

श्री पी के बिजु, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई
श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई

डिज़ाइन & टंकण

श्री एम एन वीरावधानी, उ.श्रे.लि, मुंबई
श्री तरुण कुमार, उ.श्रे.लि, मुंबई

प्रकाशन एवं मुद्रण
आयकर अपीलीय अधिकरण,
तीसरा एवं चौथा तल, प्रतिष्ठा भवन,
101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - 400020
वेबसाईट: http://itat.nic.in

Please send your feedback to:
hindi.ho@itat.nic.in

संपादकीय

बुलेटिन का नये अंक को आपके हाथों में सौंपते हुए संपादकीय परिवार को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण परिवार के सदस्यों ने सभी विधाओं-कहानी,लेख संस्मरण और कविता-में अपनी कलम चलाई है और उनकी स्तरीय रचनाओं ने बुलेटिन के इस अंक को पर्याप्त रोचक और पठनीय बना दिया है.

बुलेटिन में प्रकाशित कथा **समाज के कलंक** हमारी अन्तरात्मा को झकझोरती है तो कहानी **अमेरिका से लौटकर** में माँ की ममता की सिसकी साफ सुनाई देती है. **सच्ची कमाई** के लेखक ने अपने नजरिये से कमाई की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की है तो कुंभ के महापर्व में लेखक ने उस महोत्सव की झाँकी दिखाने की सफल कोशिश की है. रचना **आज प्रण ये कीजिये** हमें राजभाषा में काम करने के लिए ललकारती है तो एक अन्य रचना **प्रीत** हमें ठेट मध्यभारत के ग्रामीण कृषक समाज का नजारा दिखाती है और उसकी भाषा वहां की आँचलिकता की मिठास लिए हुए है. शीर्षक और कलेवर में यह रचना भले ही छोटी हो पर अपना संदेश पहुँचाने में सफल रही है. **विश्व हिंदी सम्मलेनों की यात्रा** नामक लेख में इन सम्मेलनों के इतिहास की अधिकृत जानकारी पर्याप्त रोचक ढंग से दी गई है. **केदारनाथ एक चेतावनी** में उत्तराखंड पर आई भयानक प्राकृतिक आपत्ति का विश्लेषण कर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय भी सुझाए गए हैं. **धरा को हरी भरी बनाने** जैसे समसामयिक विषय पर भी लेखक ने अपने निबंध में सार्थक चर्चा की है. **स्त्री अस्तित्व** विषयक छोटे किंतु विचारोत्तेजक लेख में आपको कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न देखने को मिलेंगें. **राजभाषा की गरिमा** और **देशप्रेम की धुन** रचनाओं की मौलिकता आपको ताजगी का एहसास कराएगी. हमें यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि न्यायाधिकरण-परिवार के सदस्यों की रचनाओं ने बुलेटिन को एक ऐसा गुलदस्ता बना दिया है जिसमें अलग अलग रंगों,खूशबूओं और आकार के फूल सजे हैं. इस विविधता से यह अधिक सुंदर हो गया है और हमें विश्वास है कि यह आपकी आँखों और मन को ज्यादा भाएगा. संपादकीय परिवार सभी रचनाकारों को उनके मौलिक लेखन के लिए बधाई देता है.

बुलेटिन के इस अंक में मुंबई खंडपीठ द्वारा आयोजित हिन्दी पखवाड़े के दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों के नाम दिए गए हैं.बुलेटिन के संपादकीय परिवार की इच्छा है कि अगले वर्ष अन्य पीठें भी प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वालों के नाम पखवाड़े की समाप्ति पर मुंबई भेज दें,ताकि अगले बुलेटिन में भारत के सभी भागों के विजेताओं के नाम प्रकाशित किए जा सकें.

गतवर्ष के बुलेटिन में प्रकाशित रचनाओं का मूल्यांकन न्यायाधिकरण के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया गया.अखिल भारत स्तर पर विजेता रहे सभी कर्मचारियों को बुलेटिन के संपादकीय परिवार की बधाई.

इस वर्ष न्यायाधिकरण की पत्रावलियों के आदेश-फलकों (आर्डर शीटस्) पर न्यायालय-कक्षों में होने वाली कार्यवाहियों का विवरण राजभाषा में लिखने का कार्य मुंबई की विभिन्न पीठों में शुरू किया गया.माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार खंडपीठों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस विषय में प्रशिक्षित किया गया और राजभाषा में आदेश फलक लिखने में आने वाली कठिनाईयों का व्यवाहारिक हल निकाला गया. हिंदी पखवाडे के दौरान इस कार्य का श्री गणेश हुआ था और गत वर्ष नवंबर-दिसंबर माहों में क्रमशः 60 और 93 **प्रतिशत** टिप्पणियाँ राजभाषा में लिखी गई हैं. यह संख्या अपने आप में एक नया कीर्तिमान है. यह एक नई शुरूआत है. देश के अन्य भागों में कार्यरत पीठें मुंबई के कर्मचारियों से प्रेरणा लेकर आदेश फलकों को राजभाषा में लिखेंगें तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होगी. मुंबई की विभिन्न पीठों द्वारा सुनवाई के नोटिस राजभाषा में भी भेजे जाने लगे हैं.इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से न्यायाधिकरण के काम में राजभाषा के प्रयोग को बढावा दिया जा रहा है.

आप सबको बुलेटिन के संपादकीय परिवार की ओर से नववर्ष की

मंगलमय-शुभकामानाएँ.

राजेन्द्र

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
संपादकीय		1-2
अध्यक्ष का पृष्ठ		5-6
भाषण	माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण	7
भाषण	श्री प्रवीण, सहायक पंजीकार, बेंगलूरू	8
समाज के कलंक	श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता	8
सुनहरी यादें	श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता	9
सच्ची कमाई	श्री सी.एल. सिंह, वरि.नि.स., लखनऊ	11
महापर्व कुंभ	श्री शशिकांत पांडे, प्रधान लिपिक, लखनऊ	12
अमेरिका से लौटकर	श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिंन्दी अनुवादक (तदर्थ), मुंबई	13
मेरा देश	श्रीमती सरोज बाला, कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़	15
आज प्रण ये कीजिए	श्री सुमन कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, जयपुर	15
विश्व हिंदी सम्मेलन	श्री तरूण कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, मुंबई	16
प्रीत	श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर	19
केदारनाथ- एक चेतावनी	श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई	19
मेरा विचार	श्री राजकुमार चौधरी, अवर श्रेणी लिपिक, लखनऊ	20
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं	श्री चन्द्रप्रकाश, अवर श्रेणी लिपिक, नई दिल्ली	22
राष्ट्रभाषा महान	श्रीमती योगिता शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक, जयपुर	23
मिटता हुआ प्यार	श्रीमती सरोज बाला, कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़	23
स्त्री – अस्तित्व और हम	श्री पंकज वर्गी, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद	24
नियुक्तियां एवं सेवानिवृत्तियां		25-26
मुंबई पीठ में सितंबर, 2013 में आयोजित हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं के प्रथम पुरस्कार विजेताओं की सूची		27
वर्ष 2013 में प्रकाशित बुलेटिन के सर्वश्रेष्ठ रचना हेतु पुरस्कृत विजेताओं की सूची।		27
न्यायिक आदेश		28
न्यायिक आदेश		30
न्यायिक आदेश		31
माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश तथा आयकर अपीलीय अधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री टी.डी. सुगला के दुखद निधन पर श्री.एच.एल.कारवा, माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण की श्रद्धांजलि।		33-34
मुंबई पीठ के हिंदी पखवाड़ा-2013 का छायाचित्र		35-36

सत्यमेव जयते

एच एल कारवा
अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

अध्यक्ष का पृष्ठ

प्रिय भाईयों एवं बहनों,

बुलेटिन का यह अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आयकर अपीलीय अधिकरण भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान है और देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के 27 शहरों में आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठें कार्य कर रही हैं। इस तरह आयकर अपीलीय अधिकरण भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिनकी पीठों में पूरे भारतवर्ष के आयकर संबंधी मामलें सुनवाई हेतु दाखिल किए जाते हैं। यह संस्थान न्याय को बनाए रखते हुए अपने बहुमूल्य निर्णयों से आयकर मामलों का निवारण सूक्ष्म एवं निष्पक्ष तरीके से करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

हिंदी भारत सरकार की राजभाषा होने के साथ-साथ आम जनमानस की भी भाषा है और पूरे हिंदुस्तान में सर्वव्यापी है। भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में ही अधिकाधिक कार्य किया जाए। देश की सबसे प्रमुख भाषा के समुचित कार्यान्वयन से हम न केवल भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि हिंदी ही पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध सकती है और हिंदी के द्वारा ही हम देश के आम नागरिक से जुड़ सकते हैं। माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों का समय-समय पर निरीक्षण जारी रहता है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 2013 में आय.अपी.अधि., अमृतसर, अहमदाबाद एवं दिल्ली पीठों का निरीक्षण किया है। श्री राजेन्द्र, लेखा सदस्य एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई पीठ के प्रयासों से मुंबई पीठ में सुनवाई किए जा रहे मामलों में फाइलों पर आदेश-पत्र हिंदी में लिखा जाना प्रारंभ किया जा चुका है तथा अधिकरण की सभी पीठों को इसे लागू करने का निर्देश दिया जा चुका है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद आयकर अपीलीय अधिकरण में सभी के गंभीर प्रयासों से कार्य हो रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण में नई नियुक्तियां करके अधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में, वर्ष 2013 में बड़ी संख्या में वरिष्ठ निजी सचिवों/निजी सचिवों की नियुक्ति की गई है। सीधी भर्ती द्वारा पंजीकार, उप पंजीकार, सहायक पंजीकार की नियुक्ति हेतु मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह, आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिया जा चुका है। नई नियुक्तियों के साथ-साथ पुराने कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2013 में 05 वरिष्ठ चपरासी/ चपरासी को स्टाफ कार चालक की पदोन्नति दी गई। साथ ही, आयकर अपीलीय अधिकरण में 31.03.2013 तक 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा दे चुके कुल 87 कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति प्रदान की गई। अधिकरण के विभिन्न पीठों में तदर्थ आधार पर कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों के नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है जो उनके विचाराधीन है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों का अपना भवन होना आवश्यक है किंतु कुछ स्थानों पर अभी भी पीठें किराए के भवनों में कार्य कर रही हैं। हमारा यह प्रयास है कि धीरे-धीरे सभी पीठों को सरकारी भवन उपलब्ध कराया जा सके। इस क्रम में, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर पीठ के लिए कार्यालय सह निवास भवन के निर्माण हेतु रू. 20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा जारी किया गया, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर को बोलियां(Bids) प्राप्त हुई और शीघ्र ही बोलियों(Bids) को अंतिम रूप देकर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है। आयकर अपीलीय अधिकरण, पूणे एवं बेंगलूरू पीठों के भवन निर्माण हेतु भी प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण, हैदराबाद पीठ को किराए के भवन से सरकारी भवन में स्थानांतरित किया गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण, बेंगलूरू पीठ को भी नए किराए के भवन में स्थानांतरित किया गया है।

विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायतें, संसदीय स्थायी समिति, विधि एवं न्याय ने अपने रिपोर्ट में नागपुर पीठ और मुंबई पीठ को ई-कोर्ट एवं ई-पीठों से जोड़ने की प्रशंसा की। समिति चाहती है कि अन्य पीठों को भी इसी तरह जोड़ा जाए ताकि विभिन्न पीठों में लंबित इसी प्रकार की अपीलों की सुनवाई एक ही स्थान पर बैठकर किया जा सके। इससे पूर्व आयकर अपीलीय अधिकरण ने अन्य 11 केन्द्रों पर अर्थात जबलपुर, पटना, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, जोधपुर, कट्टक, रांची, रायपुर, आगरा, राजकोट और पणजी पीठों में स्थापित करने के विचार से इन केन्द्रों के बार एसोसिएशनों एवं विभागीय प्रतिनिधियों के सुझाव /राय एवं आपत्ति को आमंत्रित किया। विभिन्न बार एसोसिएशनों आदि से प्राप्त प्रतिक्रिया की विश्लेषण की जा रही है।

मैं आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारियों से आशा करता हूं कि सभी संगठित होकर इस संस्था की उन्नति के लिए कार्य करेंगें। मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्यगण तथा रजिस्ट्री के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी इस संस्था के सम्मान, गौरव तथा छवि को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। मैं अधिकरण के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष उनके तथा उनके परिवार के लिए सुख और समृद्धि से भरा हो।

एच.एल. कारवा

हिन्दी पखवाड़ा के उदघाटन समारोह पर श्री.एच.एल.कारवा, माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण का संबोधन।

श्री राजेन्द्र जी, मेरे साथी सदस्यगण एवं अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों!

14 सितंबर "हिंदी दिवस" भारत के इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अधिकरण के सभी पीठों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। आज 16 सितंबर, 2013 को आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ में भी हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ हो रहा है जो 27 सितंबर, 2013 तक जारी रहेगा। हिंदी हमारी राजभाषा है अर्थात सरकार द्वारा प्रशासन चलाने में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। एक सशक्त, समृद्ध, सरल एवं लोकप्रिय भाषा होने के साथ-साथ हिंदी भारतीय संस्कृति कि प्रबल संवाहिका है। हिंदी के माध्यम से ही पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में संगठित किया जा सकता है। हमारे देश के संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि केन्द्र सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए। अतः हिंदी के प्रचार-प्रसार और सफल कार्यान्वयन के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध हैं।

हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए उस पर यह दायित्व भी सर्वाधिक हो जाता है कि वह समाज विशेष की, क्षेत्र विशेष की, सोच विशेष की प्रतिनिधि मात्र न बने। हिंदी में पूरा देश बोलना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह समझ भी पनपनी जरूरी है कि हर भाषा व्यापक अर्थों में यही काम करती है। भाषा मनुष्य का प्राणवान संस्कार होती है और यही मनुष्य के सामाजिक सरोकारों को उजागर करती है, हमें उससे परिचित कराती है, उनके प्रति जागरूक बनाती है। आवश्यकता इन सरोकारों को समझने की है। यही समझ हमें दूसरों से जोड़गी। यही जुड़ाव हमें ताकतवर बनायेगा और यही ताकत हमें स्वयं को पहचानने का अवसर और क्षमता देगी।

"किसी भी तूफान के बाद कश्ती, यदि टूटी भी हो,
किनारों पर ही आया करती है..................
हौसलों को हारे बिना कश्ती फिर माझी के साथ
मौजों पर ही जाया करती है।"

धन्यवाद !

हिन्दी पखवाडे के समापन समारोह पर स्वागत भाषण।

श्री वी. प्रवीण
सहायक पंजीकार, बेंगलूरु

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अन्य सदस्यों, प्रिय मित्रों एवं मेरे सहकर्मियों,

एक और हिंदी पखवाड़ा का भी समापन हो रहा है। शुरू में छुट्टियां होने के कारण पखवाड़ा कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाने के लिए मजबूर हो गए थे। आज हम हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह का आयोजन कर रहे हैं।

उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एवं पूर्व में अरूणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्च तक व्यापृत हमारे भारत में रहने वाले 125 करोड़ जनता, उनकी भाषा, संस्कार एवं रहन-सहन अलग होने पर भी, इन 125 करोड़ जनता को एकसाथ एक सूत्र में बांधने वाला एक विचार भारत में सतत हैं। उस विचार को तीव्र बनाने में भाषा का एक प्रमुख योगदान है, यह समझते हुए देशीय नेताओं ने स्वातंत्रयानंतर भारत में निदेशित एक आह्वान हैं हिंदी पखवाड़ा। आधुनिक संसार में लोगों एवं राष्ट्रों को एक साथ बांधने में भाषा का प्रमुख योगदान हैं, खासकर भारत जैसे बड़े राष्ट्र में। मेरे विचार में, हमारे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचानेवाले शक्तियों के विरूद्ध लोगों को एकसाथ जोड़कर रखने में भाषा जैसे उपयोगी माध्यम और कुछ नहीं हैं।

गैर हिंदी भाषी राज्यों से जब रोजगार के लिए हिंदी भाषी राज्य में लोग जाते समय हिंदी ही उनके बचाव करेंगे जिससे वे आसानी से आशय विनिमय कर सकते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में हिंदी विरोधी आंदोलन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आजकल आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटक, केरल एवं गोवा में बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी सीख रहे हैं। लोगों को नजदीक से समझने एवं यात्रा में एक समान भाषा का होना बहुत सहायक है। सुशक्त राष्ट्र एवं सुशक्त जनता को चाहने वाले राष्ट्र के लिए एक सुशक्त भाषा जरूरी है।

आशा करता हूं कि इस प्रयाण में हिंदी पखवाड़ा जैसे समारोह हिंदी भाषा एवं साहित्य और संस्कृति को भी नजदीक से जानने के लिए सहायक होंगे। साथ ही, इस समारोह में उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूं।

धन्यवाद।

समाज के कलंक

श्री कौशल कुमार
सहायक पंजीकार, कोलकाता

पंडित गंगाराम शर्मा केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में एक कर्मठ एवं इमानदार मुलाजिम थे। लोग उन्हे प्रेम से पंडितजी कह कर बुलाते थे। पंडितजी को डायरी-डिस्पैच सेक्शन में बतौर डिस्पैच क्लर्क रखा गया परन्तु पंडितजी को उस सेक्शन से इतना लगाव हो गया कि उन्होने मरते दम तक उसी सेक्शन में कार्य किया।

पंडितजी बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी एवं लगनशील कर्मचारी थे। सारी जिन्दगी उन्होने सरकार की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके कार्यक्षमता एवं ईमानदारी पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। अपने उम्र के पचासवें पड़ाव पार करते-करते पंडितजी को सर में चक्कर आने लगा। शरीर दुर्बल पड़ता जा रहा था। डाक्टर भी कुछ नही समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए। अंत में विभिन्न प्रकार के टेस्ट के उपरांत पता चला कि पंडित जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। सारे रिश्तेदारों एवं दोस्तों ने चंदा लगाकर काफी रुपये इकट्ठा करके प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका आपरेशन करवाया परन्तु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आपरेशन के सात घंटे के अंदर ही पंडित जी परलोक सिधार गए।

इस कहानी का दूसरा पहलू अब शुरू होता है जो बहुत ही शर्मनाक एवं सभ्य समाज पर कलंक है।

पंडित गंगारामजी का परिवार अपने घर से काफी दूर जहां पंडितजी की नौकरी थी वही उनके साथ रहा करते थे। पंडितजी का एकमात्र लड़का उस समय बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था। पंडितजी को कार्यालय से जो कुछ मिलना था उसके लिए पंडितजी की विधवा और लड़का सुबोध शर्मा कार्यालय का चक्कर लगाने लगे। भ्रष्टाचार हमारे समाज को दीमक की तरह चलनी कर चुका है। कभी कोई उसे मना नहीं करता था परन्तु सब समय डिले पॉलिसी अपनायी जाती थी ताकि कुछ कमायी हो एवं यह करते-करते छः माह बीत गए। घर में फूटी कौड़ी नही था। रिश्तेदारों एवं दोस्तों ने कुछ दिन तक मदद की परन्तु वे भी कब तक साथ देते। धीरे-धीरे वे भी हाथ खींचने लगे। घर में खाने-पीने का अभाव तो पहले से ही था, अब फांके भी होने लगे, दिन में खाना मिलता तो रात को बिना खाए ही मां-बेटे सो जाया करते थे। अंत में कार्यालय अध्यक्ष तक बात आई तो उन्होने दिलचस्पी दिखा कर पहले तो अपने पास से पांच हजार रुपये तत्काल दिए तथा कुछ

राशन भी खरीद कर भिजवाए परन्तु यह कब तक चलता भुखमरी की स्थिति आ गई।

बहरहाल डायरेक्टर साहब के सकारात्मक सोच से धीरे-धीरे अधिकतर धनराशि पंडितजी की विधवा को मिलने थे मिल गए। अब घर में थोड़ी खुशी आई क्योंकि अब दोनो टाइम का खाना घर में बनने लगा था और भूख मिटने लगी थी। अब तक सात-आठ माह बीत चुके थे। अब पंडितजी की विधवा को पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई थी।

पंडितजी का लड़का बारहवीं पास कर चुका था। वह पंडितजी की जगह पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लिए कार्यालय का चक्कर काटने लगा। कार्यालय का बड़ा बाबू बड़े प्यार से सुबोध को अपने बगल में बिठाते थे और समझाते थे कि बेटा कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। धीरे-धीरे समय बीतता गया। कार्यालय के चक्कर काटते-काटते सुबोध के जूते घिसने लगे। बड़ा बाबू सुबोध से सिगरेट के पैकेट और चाय मंगाना तो अपना अधिकार समझते थे, वैसे सुबोध आते समय सिगरेट का पैकेट पाकेट में छिपा कर बड़ा बाबू के लिए लाता ही था। प्रशासन के कर्मचारियों को चाय-नाश्ता कराना सुबोध की दिनचर्या बन गई। किसी को शर्म तक नहीं आती थी कि जिस पंडितजी ने उसी कार्यालय में ईमानदारीपूर्वक अपनी सेवाएं दी उन्हीं के लड़के को वर्षों से घुमाया जा रहा था। एक दिन बड़े बाबू सुबोध के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोले, बेटे अब काफी दिन बीत चुके हैं, मैं सोचता हूं वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली में कुछ खिला-पिलाकर तेरे सारे ड्यूज क्लियर करवा दूं और मंत्रालय से तुम्हारी नौकरी का आर्डर भी निकलवा ही दूं पर तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली वाले बिना चायपानी के कहां मानने वाले हैं। सुबोध खुश हो गया बोला अंकल मैं यहां रोज चायपानी पिला रहा हूं तो चायपानी की क्या बात है, मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा, बड़े बाबू बात काटते हुए बोले- बेटा तू बहुत नादान है, चाय का मतलब तू मां से पूछना। अरे भाई, दिल्ली में बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा ठीक से करनी पड़ती है। वे कम से कम 10 हजार से कम का चाय नहीं पीते हैं। बहरहाल सुबोध ने अपने पैतृक गाँव के पुराने मकान को बेचकर किसी तरह 10 हजार रूपये दिए तब उस दिन नौकरी का प्रपोजल आगे बढ़ा। यहां यह भी बताते चलें कि अभी तक सुबोध के नौकरी की फाइल आगे तक नहीं बढ़ी थी। जब फाइल डायरेक्टर के पास पहुंची तो उन्होने कड़े स्वर में पूछा कि अब तक क्या हो रहा था इतनी देरी क्यों हुई ? बड़े बाबू ने बडे चालाकी से डायरेक्टर साहब को समझा दिया कि सर एकाध साल देखना पड़ता है कि कोई और क्लेमेंट तो नहीं है। यह बताना प्रासंगिक होगा कि बड़े बाबू जो भी अधिकारियों को बताते हैं उसे मानना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि सच जानने के लिए उन्हें काफी पढ़ना पड़ेगा जो कोई नहीं चाहता है।

बहरहाल डायरेक्टर साहब काफी प्रयास करके सुबोध को नौकरी दिलावाए परन्तु तब तक काफी देर हो चुकी थी, सुबोध की नौकरी की चिंता करते-करते उसकी मां भी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब सुबोध दुनिया में अकेला था। हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार इसी तरह कई जिन्दगियां निगल चुका है और आगे भी ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारण्टी नहीं है। अब जरूरत है हम सबको सीख लेने की। यह किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसे मामलों का सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा भ्रष्टाचार से हम सभी को मिलजुल कर लड़ना चाहिए।

सुनहरी यादेः भाग- 5

श्री कौशल कुमार
सहायक पंजीकार, कोलकाता

निकिता और विवेक के संबंधों की जानकारी मुस्कान की सहेली प्रिया को पहले से हो गई थी, परन्तु विजय एवं निकिता की शादी की बात सुनकर वह भौचक्की रह गई। बहुत पहले से प्रिया ने सोच रखा था कि आनंद के बड़े लड़के विजय से वह अपनी बहन मंदाकिनी की शादी कराएगी। मंदाकिनी पश्चिम बंगाल कैडर से आई.पी.एस. में सेलेक्ट होकर कलकत्ता में डिप्टी एस.पी. के पद पर कार्यरत थी। मंदाकिनी विजय के विषय में काफी कुछ सुन चुकी थी और उसके मन में विजय के प्रति एक खास जगह बन गई थी। जब मंदाकिनी को यह पता चला कि विजय और निकिता की शादी तय हो गई है तो वह भी कुछ समय के लिए विचलित हो गई। हालांकि प्रिया और मुस्कान में काफी दोस्ती थी परन्तु विजय की शादी की बात को लेकर दोनो के बीच दरार उत्पन्न हो गई। अब दोनो में दूरियां बढ़ने लगी। दोनो अब एक-दूसरे को देख कर कतराने लगी थी। इधर मुस्कान विजय के हाथ से निकलने के लिए तैयार नहीं थी, तो उधर प्रिया भी विजय को किसी तरह अपनी बहन के लिए पाने के लिए लालायित थी। जब ये सारी बातें आनंद को पता चलीं तो वो अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। विजय को उन्होने बड़ी आशा के साथ पालन-पोषण किया था। उन्हें काफी शौक था कि विजय की शादी धूम-धाम से होगी और इसके लिए उन्होने तरह-तरह की कल्पनाएं भी अपने मन में कर रखी थी। बात बिगड़ती देख कर आनंद एक दिन कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बनाने लगे ताकि ये सारी बातें मिल-जुल कर की जा सकें। अंततः आनंद एक दिन मुस्कान के घर आ पहुंचे। आने के पहले ही उन्होने प्रिया को फोन कर

मुस्कान के घर बुला लिया था। चाय-नाश्ते के बाद आनंद ने सारी बातें दोनो के सामने रखीं और ऐसा रास्ता निकालने का आग्रह किया कि किसी को तकलीफ न हो और बात भी बन जाए। आनंद के आने की खबर पाकर मुस्कान के पिताजी भी मुस्कान के वहां आए हुए थे। वे सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। काफी विचार-विमर्श के बाद मुस्कान के पिताजी आनंद से बोले कि बेटा मैं यह जानता हूं कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगे और मेरा भी यही फर्ज बनता है कि कोई ऐसी बात न कहूं जो कि तुम न कर सको या तुम्हें उसे करने में किसी प्रकार का दबाब महसूस हो। यह कहते हुए उन्होने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुहब्बत दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर होती है। मुहब्बत के रास्ते में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। निकिता और विजय आपस में मुहब्बत करते हैं। उन्हें एक सूत्र में बंधने में कोई रूकावट नहीं आना चाहिए। अब रही मंदाकिनी की बात तो मेरा यह विचार है कि यदि सभी लोगों की सहमति हो तो उसकी शादी विजय के छोटे भाई विवेक से कर दी जाए। दोनो ही अच्छे पद पर कार्यरत हैं, लंबाई में भी दोनों की मैचिंग ठीक है। सभी ने तालियां बजाकर और ठहाके लगाकर इसका समर्थन किया। तुरंत आनंद ने अपने बेटे विवेक को फोन लगाया और उसकी भी सहमति जाननी चाही। विवेक ने तुरंत हामी भर दी। वास्तव में विवेक और मंदाकिनी कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में एक ही साथ पढ़े थे और एक दूसरे को भली भांति जानते थे। मंदाकिनी यह सुनकर शर्म से लाल हो गई और भाग कर घर के कोने में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने रुप को निहारने लगी, अब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विवेक जो उसका सहपाठी था, कभी उसकी मांग में सिंदूर डालेगा। उसे वे दिन आंखों के पटल पर दिखने लगे जब वह प्रसिडेंसी कॉलेज में विवेक के साथ बिता चुकी थी। दोनो हालांकि स्पष्टतः एक-दूसरे को प्यार नहीं करते थे परन्तु हृदयरुपी समुद्र में प्यार की लहर तो उठती ही रहती थी। दोनों एक-दूसरे के साथ कॉफी-हाउस में कॉफी पीते थे। एक ही साथ बैठकर लंच करते थे और कोई सुख-दुख की बात आपस में बांटते रहते थे।

बहरहाल अब विजय और निकिता तथा विवेक-मंदाकिनी की शादी तय हो चुकी थी। तिथि के बारे में बैठकें चल रही थीं। इधर प्रिया अपने किए पर काफी पछता रही थी कि अनायास ही उसने मुस्कान के साथ वैमनस्य पैदा किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए।

एक दिन प्रिया मंदाकिनी के साथ मुस्कान के घर पहुंची। मंदाकिनी ने झुक कर मुस्कान के चरणस्पर्श किए। मुस्कान ने मंदाकिनी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रिया मुस्कान की तरफ एकटक देखे जा रही थी, दोनो यह बताने की कोशिश कर रहीं थी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, यह सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मुस्कान भी काफी भावुक हो गई और उसकी आंखों से भी न चाहते हुए आंसू निकलकर गालों पर तैरने लगे। मुस्कान ने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया। अब दोनों आपसी गिले-सिकवे भुला कर शादी की तैयारी में जुट गए। यह सुन कर आनंद भी खुशी से झूम उठे। दोनो की शादियों की तिथि भी निर्धारित हो गई। इसी बीच मुस्कान के पिताजी आनंद के पास पटना पहुंचे और उन्होने आनंद के पास प्रस्ताव रखा कि क्यों न दोनो की शादी एक ही तिथि को कर दिया जाए और चूंकि मंदाकिनी के पिताजी अब दुनिया में नहीं हैं तो मैं हीं दोनो बच्चियों का कन्यादान कर दूं। इस बात पर दोनो परिवारों में सहमति बन गई और तय तिथि के अनुसार निकिता एवं मंदाकिनी, विवेक और विजय के साथ जीवनसाथी रुपी बंधन में बंध गए।

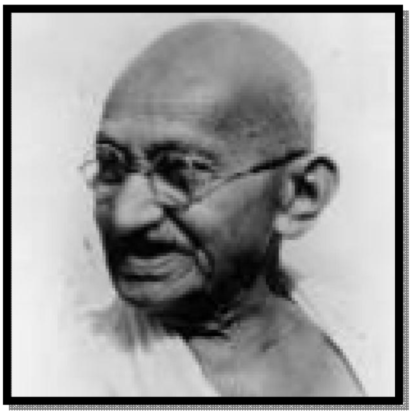

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हँसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जायेंगे.

-महात्मा गाँधी

सच्ची कमाई

श्री सी.एल. सिंह
वरिष्ठ निजी सचिव, लखनऊ

रविवार का दिन था। कार्यालय में अवकाश होने की वजह से रोज के काम थोड़े विलंब से हो रहे थे। प्रातः उठना भी देर से, नाश्ता भी देर से, दोपहर का खाना भी देर से हुआ। शाम को चाय पीकर टेलिविजन देखने के लिए बैठ गया। टेलिविजन के एक चैनल पर एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें उन लोगों को प्रशस्ति पत्र और शाल देकर सम्मानित किया जा रहा था जिन्होने किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। सम्मान पाने वालों में कई लोग थे जिनमें मुख्य रुप से फिल्म जगत से, संगीत से, राजनीति से, विभिन्न पेशे जैसे- वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, औधोगिक घरानों से आदि-आदि। सम्मान पाने वाले लोगों को देखकर मेरे मन में अचानक एक विचार आया कि इन लोगों को दुनिया जानती है। इन्होने नाम और पैसा दोनो कमाया है। इनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, से मेरा मतलब निश्चित ही भौतिक दुनिया से है। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया और सोचने लगा कि मेरा तो दुनिया में जन्म लेना ही बेकार हो गया क्योंकि न तो दुनिया में मेरा नाम है, न भौतिक संपदा है। मेरे मन ने फिर से दिलासा दिलाया और कहा कि जिनको अभी सम्मानित किया जा रहा था उन्होने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया है तथा अवसर भी उनके पास था और भाग्य ने भी इनका साथ दिया। मैंने टेलिविजन बंद कर दिया। मेरे मन ने मुझे फिर से दिलासा दिया और कहा कि कोई बात नहीं अगर आपको उतना अच्छा मौका नहीं मिला या आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया और आप ऐसा कुछ विशेष नहीं कर पाए जिससे आपका भी नाम हो और दुनिया आपको जाने, उदास होने की जरूरत नहीं है।

यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों को दुनिया जानती है, जिन्होने बहुत नाम और शोहरत कमाई है, यकीनन उन्होने कड़ी मेहनत किया है, अवसर और भाग्य भी उनके साथ थे। कुछ प्रतिशत तक, चाहे वह कम ही हो, हो सकता है कि कुछ लोगो ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी की टांग खीची हो या ऐसे तरीकों का सहारा लिया हो जो नैतिकता के लिहाज से अनुचित रहे होंगे। मेरे मन ने मुझे अचानक आध्यात्म की ओर मोड़ दिया और यह समझाने में लग गया कि भौतिक दुनिया में लोगों ने चाहे जितना नाम कमा लिया हो, अब वह चाहे नैतिक तरीका अपनाकर किया गया हो या अनैतिक, इतना तो निश्चित है कि वह अंत समय में न हमारे काम आएगी और न ही साथ जाएगी। आपका मन आपका सारथी है। यह आपको कहीं भी ले जा सकता है, शर्त यही है कि इसको आप छूट न दें क्योंकि खुली छूट देने पर यह उन रास्तों पर चल पड़ता है जिन रास्तों पर हमें पग-पग पर ठोकर खाना पड़ सकता है। मेरे मन ने मुझे समझाया कि जिंदगी के जितने भी दिन शेष बचे हैं, उनका सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे करें ? कार्यालय समय से आएं तथा समय से जाएं। कार्यालय में पूरी निष्ठा, ईमानदारी तथा लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो बहुमूल्य समय आपके पास बचे उसको व्यर्थ न गवाएं, पूरा-पूरा समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं। अगर ईमानदारी के साथ आप अपनी दिनचर्या बना लें तो आप यह महसूस करेंगें कि आपने जो कमाई किया है वह कोई नहीं कर पाया। आपने वह कमाई की है जो अंत समय काम आएगी। जिन लोगों का उपर जिक्र किया गया है, निश्चित तौर पर उन्होने बहुत समय लगाया है तथा कड़ी मेहनत की है, तब वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको उनके जैसा अवसर नहीं मिल पाया, आप वह सब नहीं कर सके जो उन्होने किया तो कम से कम इस भौतिक दुनिया में न कमा पाने की कसक को आप ऐसी कमाई करके पूरा कर सकते हैं जो उस दुनिया में अवश्य काम आएगी। इस कमाई को करने के लिए आपके पास मौका ही मौका है। जो लोग भौतिक दुनिया में नाम और शोहरत कमा रहे हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ अनैतिक भी शामिल हों, जो बाद में तकलीफ जरूर देगा लेकिन अगर आप सच्चे मन और पूरी ईमानदारी के साथ दुनियादारी को भी निभाते हुए अपना पूरा ध्यान ईश्वर में लगाएं तो आप निश्चित रुप से वह कमाई करेंगे जो केवल आपके काम आएगी। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो आपोको जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदार होना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि कार्यालय में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप गड़बड़ करें तथा ईश्वर से मदद की उम्मीद करें। भौतिक विज्ञान का तीसरा नियम कहता है कि "हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसलिए भी हम सच्चे रास्ते पर चलकर ईश्वर को हमेशा याद करते रहें। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा और गलत काम किया तो दंड भुगतने को भी तैयार रहना चाहिए।"

भौतिक दुनिया में अनैतिक उपायों का सहारा लेकर तरक्की की जा सकती है और आजकल लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वह तरक्की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाकर प्राप्त होती है। भौतिक चीजें नश्वर हैं यह सभी जानते हैं लेकिन इसके बाबजूद हम अंधाधुंध उसी में लगे हुए हैं। भौतिक कमाई हम अपनी जरूरतों के हिसाब से करें तो निश्चित ही हमारी नैतिकता भी बरकरार रहेगी लेकिन हम कहीं भी रूकना नहीं चाहते हैं। इकट्ठा करना हमारी आदत बन जाती है जिसका कोई अंत नही है। जब इतना इकट्ठा कर लिया तो मन में अपने वारिस का ख्याल अवश्य आता है और इंसान यह सोचता रहता है कि मेरे जाने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा। हमारा वारिस इसको सुरक्षित रख पाएगा अथवा नहीं। अगर हम ध्यान से सोचें तो यह प्रतीत होता है कि इंसान को इस दुनिया से जाने का उतना गम नहीं होता जितना उसके द्वारा कमाई गई भौतिक संपत्ति को रखने का है। अब आध्यात्मिक दुनिया

की सच्ची कमाई को देखें तो पायेंगे कि उसमें ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में जो कमाई की जाती है वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है। भौतिक दुनिया में हमारा चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों न हो, आध्यात्मिक कमाई का कोई भी अंश हम उसे नहीं दे सकते। हां, इतना अवश्य है कि हम उसको नैतिक मूल्य और उच्च आदर्शों को अपना कर दुनियादारी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ईश्वर में अपना ध्यान लगाने की शिक्षा अवश्य दे सकते हैं।

शारीरिक मृत्यु सभी की निश्चित है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा अवश्य। मरने के बाद हमारा क्या होता है इस पर कई मत हो सकते हैं लेकिन कुछ तो होता है। अगर हम स्वर्ग-नर्क की कल्पना करते हैं तो भी हमें अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग और बुरे कार्यों के लिए नर्क भोगना पड़ेगा। अगर हम 84 लाख योनियों में विश्वास करते हैं तो किए गए अच्छें और बुरे कर्मों के भुगतान के लिए हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अगर हम इन दोनो में विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो गया तो फिर इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही संचय करें और जीवन में पवित्रता बनाए रखें। किसी भी दशा में हमें भौतिक पदार्थों का संचय करने के लिए अनैतिक उपायों को नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि जिनको सम्मानित किया गया था, उन्होने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था जिसका फल उनको इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए अगर हम अपना अगला जन्म ठीक करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही इस जन्म में सत्कर्म करना पड़ेगा।

अब मैं इस लेख के शीर्षक 'सच्ची कमाई' को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करता हूं। सच्ची कमाई तो वही है जिसको हमने मेहनत और ईमानदारी से कमाया हो और अनैतिक उपायों का सहारा न लिया हो तथा किसी का हक न मारा हो। क्या यह क्या यह कमाई सच्ची कमाई है ? नहीं, यह कमाई भी सच्ची इसलिए नहीं है क्योंकि यह कमाई अंत समय हमारे काम नहीं आएगी। हमने जो कुछ भी कमाया है वह सब यही रह जाएगा। यहां तक कि यह शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जब इतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाई गई संपत्ति सच्ची नहीं है तो जो लोग अनैतिक तरीकों से भौतिक कमाई करते हैं, उनका क्या हाल होगा। एक ही उपाय है कि आप जो भी कार्य करें, चाहे आप अपने कार्य स्थल पर हों या घर पर हों, पूरी ईमानदारी से करें तथा ईश्वर को समर्पित करके करें क्योंकि अगर कोई गलत काम आप करेंगे तो निश्चित ही उसे आप ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे। जो समय बचे उसको ईश्वर की याद में लगाएं क्योंकि वही सच्ची कमाई है जो हमारे काम आएगी।

महापर्व कुंभ 2013

श्री एस.के. पांडेय
प्रधान लिपिक, लखनऊ

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न संप्रदायों, धर्मों एवं पर्वों का देश है। यदि गहन अध्ययन किया जाए तो पूरे भारत में प्रत्येक दिन किसी न किसी धर्मावलम्बी सम्प्रदाय का विशेष दिन पर्व के रुप में होता है और हम ईश्वरीय शक्ति को किसी न किसी रुप में मानते हैं तथा पूजा अर्चना करके आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पूजा की पद्धति अलग-अलग हो सकती है परन्तु उद्देश्य एक ही है, वह है ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति या वांछित मनोकामनाओं की पूर्ति।

कुंभ भी इन्ही पर्वों में एक महान पर्व माना गया है जिसमें लोग स्नान, दान, तप, पूजा, अर्चना, प्रवचन, श्रुति आदि करके पुण्य अर्जित कर अपने को धन्य मानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि देव-दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत-कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरू शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव-दानवों में बारह दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के चार स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चन्द्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से सूर्य ने घट फूटने से गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेन्द्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रुप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव-दानव युद्ध का अंत किया गया।

अमृत प्राप्ति के लिए देव-दानवों में परस्पर बारह दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी बारह होते हैं। उनमें से चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष आठ कुंभ

देवलोक में होते हैं जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां तक पहुंच नहीं है।

जिस समय में चंद्रदिकों ने कलश की रक्षा की थी उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र-सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां-जहां अमृत बूंद गिरी थी वहां-वहां कुंभ पर्व होता है।

कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ो श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल- हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति बारहवें वर्ष इस पर्व का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच छह वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ होता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब हिंदी माह के माघ मास की अमावस्या को बृहस्पति का वृष राशि से संचरण होता है तब प्रयाग में कुंभ का योग बनता है। मान्यता है कि चंद्र सूर्य और बृहस्पति के कोणात्मक संबंध के दौरान भूमि पर अमृत वर्षा होती है और जो लोग यहां स्नान करते हैं वे इस पुण्य के भागी बनते हैं। जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती महाराजजी कहते हैं कि कुंभ महापर्व अक्षुण्य भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जो अमरत्व की साधना संधान के लिए आयोजित होता है।

क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है।

- प्रेमचंद

अमेरिका से लौटकर

श्रीमती आशा पाल
वरि.हि.अनु.(तदर्थ), मुंबई

राघव अपनी अमेरिकी बीवी स्टेला और दो बच्चों- पॉल और जीनी के साथ भारत लौट रहा है, सुनकर सरला का कलेजा चौड़ा हो गया। आखिर अपना देश खींचता तो है हीं। सरला का बेटा राघव तो अमेरिका जाने के बाद और भी भारतीय हो गया था। भारत में रहते चाहे उसने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में भाग न लिया हो पर विदेश जाते ही उसने अपनी कंपनी के भारतीय अधिकारियों को इकट्ठा कर वह इन दिनों के उपलक्ष्य में देशप्रेम के कुछ कार्यक्रम करने लगा था जिसके लिए वह उन्हें फोन पर देशप्रेम की कविताएं और राष्ट्रप्रेम के गीत पूछता और नोट करता। कार्यक्रम के शुरूआत का भाषण भी रोमन अक्षरों में देवनागरी लिखकर वे ई-मेल से उसे भेजतीं।

यह अलग बात है कि वह उसके लिए हिंदुस्तानी लड़की ढूंढ ही रही थी कि उसने अपनी एक अमेरिकी दोस्त स्टेनो से शादी कर ली और सातवें महीने ही एक बेटा भी हो गया। साल भर बाद जीनी भी, जो बस चार महीने की ही थी। उसकी तस्वीर देखी थी उन्होंने जो बिल्कुल राघव की तरह गोरी-चिट्टी, गोल-मटोल गाब्दू सी थी।

उनका चार बेडरूम का घर अब आबाद होने जा रहा था। एक कमरे में वो दो प्राणी थे और बाकी तीन कमरे रोज की साफ-सफाई के बाद मुंह लटकाए पड़े रहते। तीनो कमरों का चेहरा धो पोछकर अब चमका दिया गया था। एक कमरे में राघव के आदेश पर उन्होने बच्चे का झूला भी डलवा दिया था।

राघव का परिवार एयरपोर्ट से घर लौटा तो जैसे घर में दीवाली मन रही थी। घर को देखकर राघव के चेहरे पर भी दर्प था जैसे स्टेला से कह रहा हो- देखा मेरा घर। स्टेला पहली बार आ रही थी। यू हैव अ पैलेशियल हाउस। तुम्हारा घर तो महलों जैसा है। राघव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे कमरे की ओर इशारा किया जहां सरला ने बच्चों के लिए दीवार पर मिकी माउस और डोनाल्ड डक के चित्र लगा रखे थे।

रात को जीनी को झूले में डाल और सरला के कमरे में लगे छोटे दीवान पर पॉल के सोने का बंदोबस्त कर वे अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। सरला ने देखा तो कहा इसे अकेले यहां ? रात को भूख लगेगी तो स्टेला ने मुस्कराकर

कहा- डोंट वरी मॉम, उसे अपने समय से फीड कर दिया है। अब सुबह से पहले कुछ नहीं देना है। सरला राघव की ओर मुखातिब हुई रात को रोई तो राघव ने उसे सख्त स्वर में कहा- मां, आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ और स्टेला के कंधे को बाहों से घेर कर बेडरूम में चला गया।

वही हुआ जिसका अंदेशा था। रात को जिनी की भीषण चीख-पुकार से नींद खुलनी ही थी। उसकी नैपी भीगी थी। उन्होने उसे बदला। थोड़ी देर कंधे पर लगा पुचकारा, मुंह में चूसनी भी डाली पर उसका रोना जारी रहा। फिर न जाने कैसे उन्हें याद आया कि राघव जब बच्चा था, उसकी छाती पर उसे उल्टा लिटा देती थी। बस, वह सारी रात उनकी छाती से चिपका सोया रहता था।

जिनी पर भी वही नुस्खा कारगर सिद्ध हुआ। उनकी धड़कन में उस बच्ची की धड़कने समा गई और वह चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद जाकर वे उसे उसके झूले में डाल आई। तीन दिन यही सिलसिला चलता रहा। रात को वह सप्तम सुर में चीखती। वो उसे उठाती और कुछ देर बाद वह उनके सीने पर उल्टे होकर सो जाती। उन्हें लगता जैसे छोटा राघव लौट आया है। बीते दिनों में जीना उन्हें इतना सुकून दे सकता है, उन्होने कभी सोचा न था। चौथे दिन सुबह अचानक नींद खुली, देखा तो राघव और स्टेला गुड़िया सी जीनी को उनके सीने पर से उठा कर चीख रहे थे।

तभी हम सोच रहे थे कि आजकल जीनी के रात को रोने की आवाज क्यों नहीं आती है ? मां, आपका जमाना गया। बच्चे को रोने देना बच्चे के फेफड़ों के लिए कितना जरूरी है, आपको मालूम नहीं। डॉक्टर की सख्त हिदायत है कि वह अपने आप रो-चिल्लाकर चुप होना और सोना सीख जाएगी। आप क्यों उसकी आदतें खराब करने पर तुली हैं ?

सरला ने उनके रूखे ऊंचे सुर को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा- आखिर तेरी ही बेटी है, तुझे भी तो ऐसे ही मेरे सीने पर उल्टे लेटकर नींद आती थी, याद नहीं ? उन्होंने राघव को उसके पैंतीस साल पहले के बचपन में लौटाने की एक फिजूल सी कोशिश की।

मां, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप बच्चों को तीस साल पहले के झूले में नहीं झूला सकती। उन्हें इंडिपेंडेंट होना बचपन से ही सीखना है। आप अपने तौर-तरीके, रीति-रिवाज भूल जाइए। वे चुप। फिर उन्हें याद आया कि अमेरिका में पॉल के जन्म के बाद हम लंबी ड्राइव पर नियाग्रा फॉल्स देखने जा रहे थे। गाड़ी में पॉल को पिछली सीट पर उसकी बेबी सीट पर तमाम जिरह बख्तर से बांध दिया गया था। रास्ते में वह दाएं-बाएं बेल्ट में कसा-फंसा बुक्का फाड़कर रो दिया। जैसे ही उन्होंने उसे उसमें से निकाल कर गोद में लेना चाहा, राघव ने कस कर डांट लगाई। अभी पुलिस पकड़कर अंदर कर देगी। चलती गाड़ी में बच्चे को गोद में उठाना मना है।

वो हाथ बांधे बैठी रही थी। नियाग्रा फॉल्स के आंखो को बेइन्तहा ठंडक पहुंचाने वाले पानी के तेज-तेज गिरने के शोर में भी उन्हें पॉल के मुंह फाड़कर रोने का सुर ही सुनाई देता रहा। आज भी नियाग्रा फॉल्स की स्मृतियों में दोनों शोर गड्डमड्ड हो जाते हैं। अब जिनि रोती है तो सब सोते रहते हैं पर उनकी नींद उखड़ जाती है। वो सोचती कि बस, कुछ ही दिनों की बात है। राघव, स्टेला, पॉल और जिनि सब चले जाएंगे। तब तक मुझे सब्र करना है। जिनि के आधी रात के रोने को अपनी धड़कनों में नहीं बांधना है। उसे अभी से आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ते हुए देख रही हैं और अंधेरे में और गहराते अंधेरे को पहचानने की कोशिश करती रहती हैं। सचमुच कुछ समय बाद ऐसी चुप्पी छाती है कि वह सन्नाटा उनके कानों को खलने लगता है।

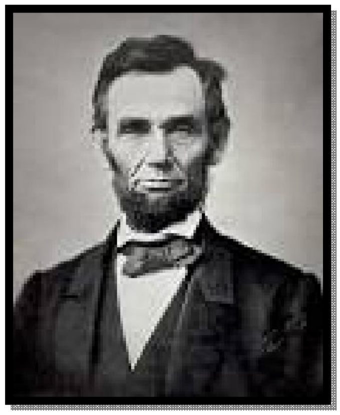

किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे छः घंटे दीजिये और मैं पहले चार घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज कर ने में लगाऊंगा .

-अब्राहम लिंकन

मेरा देश

श्रीमती सरोज बाला
कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़

मेरे देश को चाहिए, भगत सिंह जैसा प्यार।
लुटा दी जवानी देश के लिए, त्याग दिया घर संसार।
मेरे देश को चाहिए, भगत सिंह जैसा प्यार।

पश्चिमी सभ्यता के पीछे, भागे देश मेरा।
हिंदी को छोड़ अंग्रेजी का दामन थामें देश मेरा।
बुराई नहीं आधुनिक बनने में, पर भूले न कभी अपने संस्कार।
मेरे देश को, ...।

अपनों को छोड़ बेगानों को चाहें, ये प्रीत नहीं मेरे देश की।
दुश्मन को गले लगाए, अपनों को चरणों में रूलाए, ये रीत नहीं मेरे देश की।
भले ही प्रत्येक के लिए हो, मन में परोपकार।
मेरे देश को, ...।

आज भी याद जब उसकी आती है, आजादी के साथ
राजगुरु, सुखदेव दोहराती हैं, कुर्बानियाँ उनकी देख कर,
बहती है अश्रु-धार।
मेरे देश को ....

उनके इस आजाद देश को संभालना, बलिदान का रंग फीका न पड़ जाए।
मिटाए देश से गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार।
मेरे देश को, ...।

आज प्रण ये कीजिए

श्री सुमन कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक, जयपुर

आज प्रण ये कीजिए, और फिर न भूलिए,
जो हिंद के हो लाल, तो हिंदी में कार्य कीजिए,
हिंदी हमारी मां है, इसकी पूजा कीजिए,
इसके खिलाफ आप कभी भी कुछ न कीजिए।

उठो उचित जगह इसे इसकी दिलाएं,
जो मां का हो आदर तो खुद भी मान पाएं।
तुम बहुत सो चुके हो अब तो ऑखें खोलिए,
जो हिंद के हो लाल तो हिंदी में कार्य कीजिए।

पाना हो अगर लक्ष्य को तो हो एक सहारा,
इक नाव के सफर से ही मिलता है किनारा,
दो नाव के मुसाफिर को डूबना ही है,
डर है यहीं न हो कहीं अंजाम हमारा।

दो कश्तियों के बीच में हम काहे को हो लिए,
जो हिंद के हो लाल तो हिंदी में कार्य कीजिए।
हिंदी सरल-सरस है, हिंदी महान है,
हिंदी से ही तो हिंद की दुनिया में शान है।

ये देवनागरी तो है, देवों की भी वाणी,
इसकी ही आत्मा में कृष्ण-राम बसे हैं,
क्यों ने बने उसी के जिसके देव हो लिए,
जो हिंद के हो लाल तो हिंदी में कार्य कीजिए।

हर आमो-खास की वरन हिंदी जुबान है,
क्यों असलियत को छोड़कर बने दिखौलिये,
जो हिंद के हो लाल तो हिंदी में कार्य कीजिए।

राजभाषा हिंदी

श्री तरुण कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक, मुंबई

भारत की स्वतंत्रता के बाद विश्व के अनेक देशों में जब हिंदी अध्ययन-अध्यापन होने लगा तो कुछ हिंदी प्रेमियों ने हिंदी का एक विश्व मंच स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू किया। हिंदी को अंतराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रुप में स्थापित करने हेतु मैक्स मुलर, सिल्वालेवी स्लेगन, एवीकीथ एवं फादर कामिल बुल्के जैसे यूरोपवासियों ने हिंदी का अध्ययन कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम, वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की कार्यकारिणी में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला। उनकी सहमति तथा आचार्य विनोवा भावे की शुभकामनाओं विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम तय किया गया। ऐसा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी, 1975 को नागपुर (भारत) में आयोजित किया गया। अब तक कुल 09 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर, 2012 को जोहान्सबर्ग(दक्षिण अफ्रीका) में संपन्न हुआ।

विश्व हिंदी सम्मलेन के प्रमुख उद्देश्यः-

1. अंतराष्ट्रीय भाषा के रुप में हिंदी की भूमिका उजागर करना, विभिन्न देशों में विदेशी भाषा के रुप में हिंदी के शिक्षण की स्थिति का आकलन करना एवं सुधार लाने के तौर तरीकों का सुझाव देना।
2. प्रवासी भारतीयों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम के रुप में हिंदी का विकास करना।
3. हिंदी भाषा एवं साहित्य में विदेशी विद्वानों के योगदान को मान्यता देना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का विकास करना।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास एवं संचार के क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
6. भारतीय मूल के लोगों को सांस्कृतिक समारोहों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, 1975 (नागपुर)

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ शिवसागर रामगुलाम ने की। इस सम्मेलन में यूनेस्को के प्रतिनिधि असर डेलियान एवं महान हिंदी विद्वान फादर कामिल बुल्के भी उपस्थित थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैः-

- वर्धा में 'विश्व हिंदी विधापीठ' की स्थापना की जाए।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रुप में स्थान दिया जाए।
- विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

अंत में इस सम्मेलन के अध्यक्ष शिवसागर गुलाम ने मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा।

द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, 1976 (मॉरीशस)

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की सफलता के ठीक अठारह महीने बाद ही दूसरा सम्मेलन मारीशस की राजधानी पोर्टलुई के महात्मा गांधी संस्थान में 28 से 30 अगस्त, 1976 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्वभर से आए हिंदी विद्वानो ने निम्नलिखित विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया-

- हिंदी की अंतराष्ट्रीय स्थिति, शैली और स्वरुप।
- जनसंचार के साधन और हिंदी।
- हिंदी के पठन-पाठन की समस्या।
- हिंदी के प्रचार में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका।

तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन, 1983 (नई दिल्ली)

तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर, 1983 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा हुई जो इस प्रकार हैः-

- अंतराष्ट्रीय भाषा के रुप में हिंदी के प्रसार की संभावनाएं और प्रसार।
- भारत के सांस्कृतिक संबंध और हिंदी तथा मानव मूल्यों की स्थापना में हिंदी की भूमिका।

चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन, 1993 (मॉरीशस)

चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरीशस के पोर्टलुई में 02 से 04 दिसंबर, 1993 को हुआ। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था 'विश्व में हिंदी'। इस सम्मेलन के अंत में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रकार थे –

- भारत में अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्व विधालय स्थापित किया जाए।
- विभिन्न विश्वविधालयों में हिंदी पीठ खोले जाएं।
- हिंदी को विश्व मंच पर उचित स्थान दिलाने में शासन और जनसमुदाय विशेष प्रयत्न करे।
- विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी अपने निजी और सार्वजनिक कार्यों में हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करे।
- विश्व हिंदी सचिवालय मॉरीशस में स्थापित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन से ही इन सम्मेलनों का आयोजन भारत सरकार की सहायता एवं सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा होने लगा।

पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन, 1996 (पोर्ट ऑफ स्पेन)

पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 04 से 08 अप्रैल, 1996 को त्रिनिदाद एवं टोबेगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में संपन्न हुआ। इसके आयोजक हिंदी निधि एवं वेस्टइंडीज विश्वविधालय थे। इस पंचम सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था 'अप्रवासी भारतीय और हिंदी'। सम्मेलन के अंत में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि-

- विश्वव्यापी भारत समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रुप में स्थापित करेगा।
- सभी देशों, विशेषकर जिन देशों में अप्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या है, उनकी सरकारें अपने-अपने देशों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था करे।
- मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हेतु भारत में एक अंतर-सरकारी समिति बनाई जाए।

छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, 1999 (लंदन, यू.के.)

छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर, 1999 तक लंदन (यू.के.) में संपन्न हुआ। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रुप में संविधान द्वारा स्वीकृति मिलने की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन का बोध-वाक्य था- 'हिंदी और भावी पीढी'। इस सम्मेलन के अंत में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार थे-

- हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी जाए।
- हिंदी की सूचना तकनीक के विकास, मानकीकरण, प्रसारण एवं संचार की अधतन तकनीक के विकास हेतु भारत सरकार एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करे।
- विश्वभर में हिंदी के अध्ययन, शोध एवं प्रचार-प्रसार के लिए महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय विश्वविधालय एक अंतराष्ट्रीय केन्द्र के रुप में सक्रिय भूमिका निभाए।
- नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाए।
- मॉरीशस सरकार अन्य हिंदी प्रेमी सरकारों से परामर्श कर शीघ्र ही विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करे।

सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन, 2003 (सूरीनाम)

सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में 06 से 09 जून, 2003 तक आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था- 'विश्व हिंदीः नई शताब्दी की चुनौतियां'। इस सम्मेलन में पारित प्रमुख संकल्प थे-

- हिंदी के प्रचार हेतु वेबसाइट की स्थापना और सूचना प्रौधोगिकी का प्रयोग।
- यू.एन. में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना।
- विदेशी विश्वविधालयों में हिंदी पीठ की स्थापना करना।
- कैरेबियन हिंदी परिषद की स्थापना करना।
- हिंदी पाठ्यक्रम में विदेशी हिंदी लेखकों की रचनाओं को शामिल करना।
- सूरीनाम में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था पर जोर देना।
- दक्षिण भारत के विश्वविधालयों में हिंदी विभाग की स्थापना करना।
- हिंदी विद्वानों की विश्व-निर्देशिका का प्रकाशन करना।

आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, 2007 (न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका)

आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन अमरीका के न्यूयार्क में 13 से 15 जुलाई, 2007 को संपन्न हुआ। न्यूयार्क में पहली बार इस सम्मेलन का उदघाटन सत्र संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ही हुआ, जिसे उसके महासचिव बान की-मून ने भी संबोधित किया। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय 'विश्व मंच पर हिंदी' था। इस आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को शीघ्रातिशीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का आवाह्न किया गया। इस सम्मेलन में हिंदी विद्वानों ने निम्नलिखित विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया, जो इस प्रकार है-

- हिंदी के प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौधोगिकी की भूमिका।
- हिंदी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों की भूमिका।
- वैश्वीकरण, मिडिया और हिंदी।
- हिंदी भाषा और साहित्य एवं विदेशों में हिंदी शिक्षण।

नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन, 2012 (जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका)

नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर, 2012 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मूल विषय था 'भाषा की अस्मिता एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ'। इस नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्राचीन एवं आधनिक पहलुओं से संबंधित परंपरागत एवं समसामयिक दोनो प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई।

- महात्मा गांधी की भाषा दृष्टि एवं वर्तमान में संदर्भ।
- सूचना प्रौधोगिकीः देवनागरी लिपि।
- विदेश में भारतः भारतीय ग्रंथों की भूमिका।
- हिंदीः फिल्म एवं रंगमंच की भाषा।
- लोकतंत्र और मीडिया की भाषा के रुप में हिंदी।
- ज्ञान विज्ञान एवं रोजगार की भाषा के रुप में हिंदी।
- हिंदी के विकास में विदेशी एवं प्रवासी लेखकों की भूमिका।
- दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षा में युवाओं का योगदान।

विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के लिए एक सशक्त विश्व मंच बनकर उभरा है। विश्वभर में फैले हिंदी प्रेमी अब यह अनुभव करने लगे हैं कि यह उनका एक 'विश्व हिंदी परिवार' है। इन सम्मेलनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।

विश्व में हिंदीः-

विश्व के लगभग तिरानवें देशों में हिंदी का यो तो जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होता है अथवा उन देशों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की सम्यक व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि चीनी भाषा के बोलने वालों की संख्या जहां हिंदी भाषा से अधिक है, परन्तु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा सीमित है। वहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा अधिक है किंतु हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी भाषियों से अधिक है। विश्व के इन तिरानवें (93) देशों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैः-

1. इस वर्ग के देशों में भारतीय मूल के अप्रवासी नागरिकों की आबादी देश की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। इन देशों के अधिकांश भारतीय मूल के अप्रवासी जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इन देशों में मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी एवं त्रिनिदाद और टोबैगो के नाम उल्लेखनीय हैं।
2. इस वर्ग के देशों में ऐसे निवासी रहते हैं जो हिंदी को विश्व की एक भाषा के रुप में सीखते हैं एवं पढ़ते हैं तथा हिंदी में लिखते हैं। इन देशों की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी हिंदी की शिक्षा का प्रबंध है। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी एवं दक्षिण अफ्रीका के नाम उल्लेनीय है।
3. भारत एवं पाकिस्तान के अतिरिक्त हिंदी एवं उर्दू मातृभाषियों की बहुत बड़ी संख्या विश्व के लगभग 60 देशों में निवास करती है। इन देशों की यह आबादी संपर्क भाषा के रुप में 'हिंदी-उर्दू' का प्रयोग करती है, हिंदी फिल्में देखती है, हिंदी के गाने सुनती है या टी.वी. पर हिंदी के कार्यक्रम देखती है। इन देशों में संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, ताजकिस्तान, थाइलैंड एवं आस्ट्रेलिया आदि देशों के नाम उल्लेखनीय हैं।

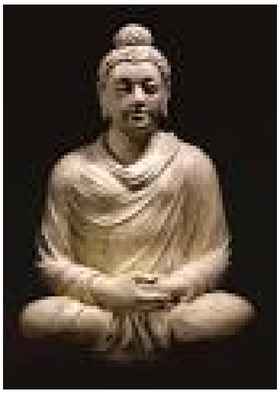

आप वो हैं जो आप रह चुके हैं. आप वो होंगे जो आप अभी करेंगे.

-भगवान गौतम बुद्ध

प्रीत

श्री अशोक सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर

चैत का महीना है। भोलाराम भिनसारे ही निकल गए कटाई करने। पत्नी भोली घरेलू काम करने में व्यस्त। ऐसी आर्थिक स्थिति है नहीं कि भाड़े पर किसी कटइया को ले लेते, सो अकेले ही निकल गए।

दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भोली ने घर-आंगन झाड़ा बुहारा। पशुओं की दलान बुहारी। गोबर उठाकर ले जाकर पथनवाले पर कंडे पाथे। लौटकर हाथ-पैर धोए। भैंस को सानी दी। जल्दी-जल्दी स्नान किया। दही मथा, फिर खाना बनाया। खाना खाकर पानी भरा। कटोरी में दाल भरी। छन्ने (कपड़े) में रोटी बांधी। सिर पर उडरी रखी, उस पर घिल्लिया, तिस पर दाल-रोटी का कलेवा और चल दी खेत के लिए। वह चिंतित है, और उसे ग्लानि भी हो रही थी कि आज बहुत देर हो गई है। उसके पति भोलाराम प्यासे होंगे।

खेत पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, सुनते हो, कटाई बंद करके जल्दी आ जाओ। कलेवा करके पानी पी लो। सूरज देवता कितने चढ़ आए हैं। बहुत प्यास लगी होगी। भोलाराम को सचमुच प्यास लगी थी। कटाई बंद करके आ गए बबूल की छाया में, जहां भोली कलेवा लेकर बैठी थी। भोली बोली, का करे, घर के काम करते-करते देर हो गई। पत्नी के निश्चल प्रेम से अभिभूत भोलाराम ने कलेवा करते-करते कहा, भोली मैं तो यहां एक ही जगह पर अकेला एक ही काम कर रहा हूं तुमने तो सवेरे से कितने काम निबटाए हैं। क्या करें, ईश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं दी कि हम भाड़े पर एक कटइया रख सकते, तो तुम्हे कटाई के लिए न आना पड़ता।

कातर हो रहे पति को बड़े प्रेम से निहारते हुए भोली बोली, तुम भी तो......... अरे घर के काम तो रोज के हैं। इनसे भी कभी थकान होती है ? अरे जल्दी कलेवा करो, फिर चलें दोनो कटाई करने .... देखें कौन कितनी जल्दी कटाई करता है। प्रेम-विभोर पति-पत्नी भूल गए गिले-शिकवे, थकान सब। प्रेम मगन लग गए श्रम देवता की पूजा में।

केदारनाथ - एक चेतावनी

श्री अमित कुमार
अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई

"बादलों का फटना" एक प्राकृतिक घटना है जो किसी विशेष परिस्थिति में पर्वतों पर बनती है परंतु जो केदारनाथ में हुआ वह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। वह पर्वतीय क्षेत्रों में हुए मानवीय हस्तक्षेपों का परिणाम थी। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में भारी बारिश, बादल फटने तथा ग्लेशियर के टूटने के बाद जनधन की अपार क्षति हुई। उतराखंड के पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली आदि जिलों में बारिश का कहर जुलाई अगस्त में भी लगातार जारी रहा। यद्यपि पर्यावरणीय, भौगोलिक तथा भूगर्भिक रुप से अति संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का आना कोई नई बात नहीं है मगर वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदाओं का कहर जो एक बार शुरू हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। केदारनाथ सहित तमाम अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने तथा भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से लाखों जिदगीयां कालकलवित हो गए। करोड़ो की संपत्ति का नुकसान हुआ। यद्यपि इस क्षेत्र में बादल पहले भी फटते थे मगर पिछले 4-5 वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में अप्रत्याशित तेजी आई है। यह बेहद ही चिंता का विषय है।

वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की प्राकृतिक आपदा बरसात के मौसम यानि मानसून सत्र में ही अधिक देखी जाती है। यों तो इस प्रकार की घटनाएं जून मध्य के बाद से सितंबर, मध्य तक ही देखी जाती हैं। मगर जुलाई अगस्त में इस प्रकार ही घटनाएं ज्यादा घटती हैं। हिमालय के 1600 मीटर से 3000 मीटर उचाई तक के क्षेत्र इन घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब वातावरण में अधिक नमी होती है तथा हवा का रूख कुछ ऐसा होता है कि नमी से भरे हुए बादलों को उपर की ओर धकेलने वाली वायु कमजोर पड़ जाती है तो ये बादल भारी होकर फूट पड़ते हैं तथा भारी

मात्रा में एक स्थान पर बरस पड़ते हैं। यह घटना "बादल फटना" कहलाती है। बादल फटने की घटनाएं दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक देखी जाती हैं। इसका कारण यह है कि दिन में संकरी घाटियों में आद्रता से पूर्ण मेघों का जमाव लगातार होता रहता है तो वही रात्रि के समय पर्वतीय संचरण के कारण मेघों का नीचे की ओर आना स्थानीय तथा चक्रवाती हवाएं पैदा कर देता है और इन्हीं सर्द गर्म हवाओं का आपस में टकराना रात्रि में बादल फटने का मुख्य कारण है।

<u>बचाव के उपाय</u>:-

बादल के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण उपाय है। बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने में पारंपरिक वन काफी मददगार हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी तथा पर्यटन उधोग के लगातार विकास के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक मिश्रित वनों तथा बुग्यालों का होना प्राकृतिक संतुलन का नायाब उदाहरण है। इन वनों के वनस्पतियों की मजबूत जड़े जहां मिट्टी को बांधे रखती है वहीं छोटी किंतु मजबूत पतियां बारिश के वेग को कम कर देती हैं। साथ ही इन पेड़ों की सूखी पतियां जमीन में चादर जैसी बिछकर पानी के निकासी को भी सुनिश्चित करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो विकास नीति बनाई जाए वह मैदानों जैसी न हो अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों के लिए "ग्रीन डेवलपमेंट" तथा "ग्रीन इकोनॉमी" पर आधारित नीतियों का निर्धारण व कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उधोगों के बजाए कुटीर उधोग तथा मझोले उधोग को बढ़ावा देना चाहिए। उतराखंड में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए "इको टूरिज्म" या "ग्रीन टूरिज्म के विकास के लिए" प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। पर्यावरण मानकों का पालन न करने वालों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को अपने लिए तथा भविष्य की आनेवाली पीढियों के लिए सुरक्षित रख सकें। इन सभी उपायों पर ध्यान रखकर काम करने से इन सभी घटनाओं को समाप्त तो नहीं परंतु कम जरूर कर सकते हैं। इन सभी के अलावा हम सभी नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवनशैली को इस तरह बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। तभी प्रकृति भी हमारे साथ रहेगी तथा हम प्रकृति के साथ रह सकें।

"मेरा विचार"

श्री.राजकुमार चौधरी
अवर श्रेणी लिपिक, लखनऊ

"कभी-कभी सोचता हूं कि उम्र बढ़ती जा रहा है तो बुद्धि भी बढ़ती जा रही होगी, शायद ऐसा सोचना सही है लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो जीवन में घट जाने के बाद यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मनुष्य बुद्धिमान तो हो रहा है लेकिन शैतान क्यों बनता जा रहा है?"

देखिए ना, पूरे विश्व की अगुवाई करने वाला अमेरिका इतना विकसित होने के बाबजूद एक अनहोनी डर से सबको डरा रहा था और डर भी रहा था कि 21 दिसंबर को पृथ्वी समाप्त हो जाएगी।

दिसंबर आ ही गया, मेरे मन में भी विचार आने लगा कि पृथ्वी सचमुच नहीं रहेगी, दिसंबर के दिन यूं तो अन्य महीनों की अपेक्षा छोटी होती है। देखते-देखते दिसंबर की 15 तारीख आ गई, सुबह जगते ही सबसे पहले याद आया कि मेरे जीवन की यह अंतिम सप्ताह है। शनिवार होने के कारण दफ्तर में छुट्टी थी, इसलिए सोचते- सोचते दरवाजे की तरफ आया, वहां मैदान में छोटे-छोटे बच्चे खेलने में मशगूल थे, उन्हें देखकर मेरे मन में विचार आया, मैं तो बच्चे से भी बच्चा निकला, एक मैं उम्र में बड़ा होने के बाबजूद घर में डर रहा हूं और एक वो खुले मैदान में निडर होकर खेल रहे हैं। यह सोचते हुए मन को दिलासा दिया कि मरेंगे तो सभी नहीं तो कोई नहीं।

अगला दिन 16 दिसंबर था वो भी रविवार, छुट्टी का दिन अच्छा बीता। शाम को एक न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह पृथ्वी तबाह होगी, न्यूयार्क कैसे तबाह होगा, इस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि आज का मनुष्य तकनीकी रूप से इतना विकसित होने के बाबजूद वास्तव में इतना अज्ञानी है, अगर मुझे यह पता नहीं कि एक सेकण्ड बाद मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं यह कैसे बता सकता हूं कि एक सप्ताह बाद पृथ्वी तबाह हो जाएगी, जब मेरे मन में यह विचार आया तो मैं 100% निश्चित हो गया कि मेरी पृथ्वी माता को कुछ नहीं होगा।

इन बातों को सोचते हुए मैं सो गया। रात के ग्यारह बजे अचानक आंखें खुली, बाहर ऐसा सन्नाटा था जैसे सचमुच में मेरे सिवा इस धरती पर कोई बचा न हो, पछुआ हवा तेजी से चल रही थी, दूर मुहल्ले में कुते भौंक रहे थे, मैं अपने आप को समझा भी नहीं पा रहा था कि मैं सोकर

सचमुच में जगा हूं। मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए थोड़ा कमरे में टहलने के बाद रेडियों को चालू किया, वहां समाचार प्रसारण हो रहा था, मैंने जो सुना उसे संक्षिप्त में बता रहा हूः- दिल्ली में चलती बस में कुछ शरारती तत्वों ने एक 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किया है, पूरी रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाई है, इसी के साथ यह समाचार प्रसारण समाप्त होता है। इसे कहते हुए सहसा रेडियों इस तरह शांत हो गया, जिस तरह गलती पकड़े जाने पर छोटे बच्चे। इसी बीच मुझे आभास हुआ कि मेरे खिड़की पर कोई चढ़ रहा है, डरते हुए खिड़की के पास गया तो देखा कि एक बिल्ली खिड़की से अंदर प्रवेश करना चाहती है, मुझे देखकर बिल्ली तो भाग गई लेकिन मैं अपने चेहरे पर पसीना महसूस कर रहा था, इसी बीच रेडियों बजना शुरू हो गया, जहां तक मुझे याद है उसमें लता जी की वो दर्द भरी आवाजेः लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए....... मेरे कानों में सुनाई पड़ी, मैं सहसा कुर्सी पर बैठ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे रेडियों का किसी ने दिल तोड़ दिया था या स्टुडियो में बैठे संचालक के उस लड़की के प्रति दर्द गाने के रुप में रेडियों से बाहर आ रहे थे, मुझमें सुनने की शक्ति नहीं रही और रेडियों को बंद कर दिया और सोचने लगा कि मेरा समाज कितना गिर गया है, आज इंसान अपने को सभ्य कहता है, लेकिन उसका विचार कुते के समान हो गया है, मैंने अपने मन को बहुत समझाया, ऐसी-ऐसी घटनाएं प्रत्येक दिन होती रहती है तो इस एक घटना के बारे में सोचना व्यर्थ है लेकिन यह डर मेरे साथ इसलिए हावी हो गया क्योंकि सोने से पहले मैं किसी तरह प्रलय के डर से उबरा था। सोचते-सोचते सो गया और सुबह दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गया लेकिन रात की घटना मेरे मन से नहीं निकल पा रही थी, जिधर देखो, जैसे देखो, सभी इसी चर्चा में मशगूल थे, कोई मजे के लिए कर रहा था को कोई दर्द से प्रभावित होकर।

जैसे-जैसे दिन बीतता जा रहा था, यह घटना हमारे देश की सांसो को रोकता जा रहा था, कभी 21 दिसंबर की डर से लोग पूजा, अनुष्ठान इत्यादि क्या-क्या नहीं किए, लेकिन उस 21 दिसंबर को हमारे देशवासी सिर्फ उस लड़की के जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इस युवती ने सारे लोगों का डर अपने दुखों में बांध लिया है। देखते- देखते 22 दिसंबर आ गया और सारा देश सड़कों पर था, लोग इसलिए गुस्से में नहीं थे कि लड़की का बलात्कार किया गया बल्कि उसके साथ हमारे विकसित देश के सभ्य लोगो ने, हमारे प्रशासनिक राजधानी में जहां से हमारे देश के कानून बनते हैं, किस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि नर पशु सिर्फ नर पशु से ही लड़ाई करते हैं ना कि मादा से। लेकिन हम मनुष्य सभी बाधाओं को पार कर गए है।

अब मैं सोचने लगा कि जब मैं बच्चा था, उस समय क्या ऐसी घटना होती थी या नहीं ? होती भी होगी तो बुद्धि ना थी या हम असभ्य थे क्योंकि पक्की के जगह कच्ची सड़के थी, मोटरकार की जगह बैलगाड़ी थी, जींस-शर्ट के जगह कुर्ता-पायजामा था और भाषा में अंग्रेजी की जगह हिंदी थी। फिर भी समाज में मां को मां, बहन को बहन, बेटी को बेटी और स्त्री को स्त्री समझा जाता था लेकिन आज हम चांद पर चले गए, बिना जीवन का इंसान बनाने लगे पर नैतिक चरित्र की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए दो वर्ष की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरतों के इज्जत को भी हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, क्या यही विकसित होने की निशानी है ? क्या यही वो पैमाना है जो बताता है कि हम बुद्धिजीवी है ?

आखिर 13 दिन तक मौत से जूझने के बाद जिंदगी की जंग हार गई लेकिन मरने से पहले उसने अपने मां से जो बात लिख कर जाहिर की थी कि "मां, मेरे साथ हुई यह घटना क्या सभी जान गए ? क्या सभी दरिंदे पकड़े गए ? मैं जीना चाहती हूं"। ऐसा लिखते हुए उसकी आंखों से आंसूओं की बरसात हो रही थी। उन आसूओं का जबाब कौन देगा ? क्या ये सारी बातें हमारे सभ्य और विकसित समाज को आगाह नहीं करती कि स्त्री में अभी भी शर्म बची हुई है लेकिन हम पुरूष बेशर्मी की हदों को पार कर चुके हैं। "

अंत मे मैं उस पुराने असभ्य समाज से संबंध रखने वाले उस लड़की के बुढ़े दादा के द्वारा कही गई बातों का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उनका दर्द साफ दिखाई देता है- "बहादुर थी मेरी पोती, सबको जगाकर सो गई, बस यही चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि हमारी पोती जैसी घटना किसी और लड़की के साथ न हो। "

खैर देखते-देखते साल 2012 का दुखद अंत हुआ और जहां हमने अपने समाज के काली परतों को महसूस किया और हमें एहसास हो गया कि अब 21 दिसंबर(प्रलय) से डरने की नहीं, बल्कि उसे हंस कर गले लगाने का वक्त आ गया है।

ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं

श्री चन्द्रप्रकाश
अवर श्रेणी लिपिक, दिल्ली

हरी-भरी धरती, पेड़-पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही तो मिलती है। फिर नुकसानदेह कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैस को सोखने का काम भी तो पेड़ ही करते हैं। इसके अलावा पेड़ो से हमें ईंधन, फल, छाया, सुंदर फर्नीचर, औषधीय गुणों वगैरह के रुप में जो लाभ मिलते हैं, वे बिल्कुल अलग हैं। आज इन्ही पेड़ों पर आफत आई हुई है।

जंगलों की अंधाधुंध कटाई से दुनिया में नई-नई समस्याएं पैदा हो रही है। एक शोध के मुताबिक इस दुनिया में मूल रुप से जो जंगल थे, 2011 तक उनमें से 50प्रतिशत को साफ कर दिया गया है। वर्तमान में तो हालत ये है कि हर हफ्ते हमारी धरती पर से 5 लाख हैक्टेयर में फैला जंगल साफ कर दिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल धरती पर से 1 प्रतिशत जंगल का सफाया किया जा रहा है। पिछले दशक की तुलना में यह बहुत ज्यादा है।

शहरीकरण के दबाव, बढ़ती जनसंख्या और तेजी से तरक्की करने की लालसा के चलते दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। ऐसे समय में, जबकि दुनिया-भर के वैज्ञानिक बार-बार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चेता रहे हैं और भविष्य के भयावह होने की चेतावनी दे रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसके बाबजूद जारी है। रूस, इंडोनेशिया, चीन और भारत सहित कई अन्य देशों में जिन जंगलो को एकदम अनछुआ माना जाता था, वे भी कटाई का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल के रुप में पहचाने जाने वाले पेरू के ओकी-पिनाको के जंगल भी इनसे जुदा नहीं है। इन जंगलों को भी बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। जितनी तेजी से जंगल कट रहे हैं, उतनी ही तेजी से जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां दुनिया से विलुप्त होती जा रही हैं। जंगलों की कटाई सबसे ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में है, जहां निर्धनता बहुत ज्यादा है। विकास की प्रक्रिया से जूझ रहे इन देशों ने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम नहीं कसी है, इस वजह से प्रकृति की खूबसूरत देन वर्षा वन तेजी से काटे जा रहे हैं। जंगलों के कटने से मिट्टी का कटाव भी बहुत तेजी से हो रहा है। भारत में हिमालय पर्वत पर हो रही जंगलों की कटाई के कारण वहीं मिट्टी का कटाव हो रहा है जो बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। एक शोध के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की दर प्रति वर्ष 7 मि.मी. पहुंच गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि घाटियों और झीलों में भारी मात्रा में गाद भरती जा रही है और इनकी जल भराव क्षमता कम होती जा रही है। जिन नदियों को भारत की जीवनरेखा कहा जाता है, वे गर्मियों में सूख जाती हैं, जबकि बारिश में इनमें बाढ़ आ जाती हैं। इसका कारण इनमें भारी मात्रा में गाद का जमा होते जाना हीं है।

वनों की बेरहमीपूर्वक हो रही कटाई के कारण प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जंगलों की कटाई से गरीबों की समस्याएं भी और बढ़ेगी। एक शोध में यह बात सामने आई है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई और प्रकृति के असंतुलन संबंधी अन्य पहलू विश्व में गरीबों के जीवन स्तर को आधा कर देंगे, यानि बदतर कर देंगे तथा दुनिया की जीडीपी(सकल घरेलू उत्पाद) को भी 2050 तक 7प्रतिशत तक घटा देंगे। विकसित देशो में मकानों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और लकड़ी की लुगदी से कागज तैयार होता है। विकासशील देशों में लगभग 3 अरब लोग ईंधन के रुप में लकड़ी का प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं। वनीय उत्पाद विकसित और विकासशील दोनो प्रकार के देशों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में यह बात स्वतः ही समझी जा सकती है कि जब तेजी से कटते वन बचेंगे ही नही तो दुनिया की एक बड़ी आबादी पर इसका भीषण असर पड़ना तय है।

यदि दुनिया को बचाना है और आने वाली पीढियों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें तेजी से प्रयास करने होंगे। अब हममें से प्रत्येक को 1-2 नहीं, बल्कि कम से कम 10-10 पेड़ लगाने होंगे। तो आइए हम आज ही प्रण लें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का।

जितनी ज्यादा हरी-भरी होगी हमारी धरा,
उतना ही हमारा जीवन होगा खुशियों भरा।

राष्ट्रभाषा महान

श्रीमती योगिता शर्मा
अवर श्रेणी लिपिक, जयपुर

हिंद देश की हिंदी हूं मैं
हिरण्मय यह ताज मेरा है।
रस अलंकारों से थी मंडित
जिसे अन्य भाषा ने खंडित किया है।।

तुम ना मानो मगर हकीकत है
हिंदी हम सब की जरूरत है।
हिंदी को मन से अपना कर देखो
ये राष्ट्रभाषा कितनी सुंदर है।।

जब बोले अटल जी हिंदी राष्ट्रसंघ में
तो यह एक अभिमान है।
फिर क्यों स्वदेश में ही बनी
हिंदी विष का पान है।।

अन्य भाषा सीखना
ज्ञान का विकास है।
निज भाषा को भुलाकर सीखना
मातृभाषा का परिहास है।।

अगर पूछे नवासी कितना होता है
तो स्वर यही सुनाई देता है- नवासी क्या
पर बोले – एटी नाईन तो
आठ नौ मस्तिष्क पर दस्तक देता है।।

हिंदी को अपना स्थान मिलना चाहिए
इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में
अन्य भाषा के साथ
हिंदी भाषा की भी परीक्षा होनी चाहिए।

हिंदी हमारी पहचान है, शान है
अभिव्यक्ति का माध्यम है।
अपने ही देश में अपनी पहचान खोजती
यह राष्ट्रभाषा महान है, यह राष्ट्रभाषा महान है।

मिटता हुआ प्यार

श्रीमती सरोज बाला
कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़

वक्त की बहती धार को देखो,
मिटते हुए इंसान के प्यार को देखो।
बदल गया विधाता भी,
मिटती इंसान की तकदीर को देखो।

हवा में उड़ता है खून मानव का,
रंग बदल गया आकाश का मानव के खून से।
गम के तराने भी घबराने लगे हैं,
शैतान की बढ़ती शैतानियत की हद से।

भाई किसी का भी जाए,
राखी तो बहन की तन्हा होती है।
पति किसी का भी बिछड़े,
मांग तो सुहागन की ही सूनी होती है।

बेटा कोई भी न रहे,
गोद तो मां की ही उजड़ती है।
रोक सको तो रोको इसको,
वरना मिट जाएगा दुनिया से इंसान।

अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान,
तैहरान हो या हिंदुस्तान।
बन जाएगी ये दुनिया,
सिर्फ एक कब्रिस्तान।

स्त्री अस्तित्व और हम

श्री पंकज वर्गी
अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद

16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में जो वीभत्स कृत्य हुआ वो मुझे और किसी भी इंसान को डराने जितना वहशी और दर्दनाक था। इसने इंसानियत को कलंकित किया और नैतिक पतन की पराकाष्ठा दर्शाई है। ऐसा फिर न हो पाए इसके कानूनन और व्यवस्थात्मक उपायों के अतिरिक्त व्यापक पैमान पर लोगों की सोच में बदलाव करने और वैचारिक प्रगति की दिशा में कारगर कदम उठाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है।

दिल्ली मे हुए इस बलात्कार और उसके बाद कई जगह इस तरह की घटनाओं ने स्त्री की आजादी को दायरे में कैद करने की मानसिकता को बढ़ावा दिया है। असुरक्षा की भावना ही हमें कमजोर करती है। हमलोग समस्या की जड़ में जाकर उसे खत्म करने की जगह उससे खुद को दूर करने में लग जाते हैं। समस्या या खतरे के निराकरण की जगह खुद को महफूज करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में लग जाते हैं।

पर यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाज को भी स्त्री और पुरूष की अस्मिता में असमानता की मानसिकता को बदलना होगा। स्त्री की अस्मिता को समाज में बहुत बढ़ा-चढा कर पेश किया जाता है, उसकी अस्मिता को ही उसका अस्तित्व समझा जाता है।

मेरा मानना है कि लड़के और लड़की में फर्क सिखाए जाने का सिस्टम ही खराब है। विशेष रुप से सामाजिक और नैतिक दायरों के संदर्भ में। दोनों को जीने के लिए संभवनाओं और अवसरों की समानता होनी चाहिए। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं ना कि दूसरे से श्रेष्ठ। स्त्री को भी याचक की छवि से बाहर निकलकर 'शारीरिक', 'मानसिक', 'भावनात्मक' रुप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनना होगा।

हमें स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व और व्यक्तित्व को अपनाना होगा और उसे सुरक्षा, अपनेपन और खुले विचारों के साथ अपनी जिन्दगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देनी होगी। ताकि वह अपने आपको और दुनिया की खूबसूरती को महसूस कर सके और इस दुनिया में अपने आपको साबित कर सके। हमें इस दुनिया को उसके लिए संभावनाओं और अवसरों से भरना होगा।

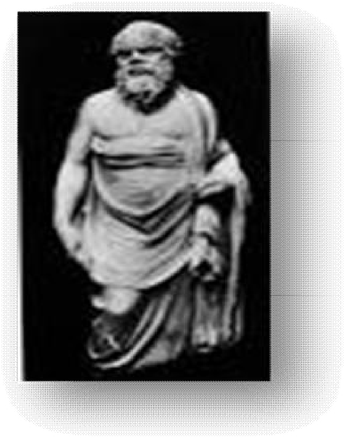

मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं; मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं.

-सुकरात

वर्ष 2013 में माननीय सदस्यों की नियुक्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	नियुक्त की तिथि
1	एबी टी. वर्की	न्यायिक सदस्य	दिल्ली	11.09.2013

वर्ष 2013 में वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों की नियुक्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	नियुक्त की तिथि
1	गजकोश रोशनी मल्हारी	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	11.02.2013
2	एम. सतीश कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव	पुणे	11.02.2013
3	कविता चोपड़ा	निजी सचिव	दिल्ली	11.02.2013
4	आशीष कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	11.02.2013
5	सिनी आनंद	निजी सचिव	मुंबई	14.02.2013
6	के. वेणुगोपाल	वरिष्ठ निजी सचिव	चेन्नै	21.02.2013
7	रविकुमार	निजी सचिव	पुणे	26.02.2013
8	सुजीत कुमार शर्मा	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	27.02.2013
9	श्रवण कुमार	निजी सचिव	मुंबई	27.02.2013
10	अमित कुमार श्रीवास्तव	निजी सचिव	आगरा	01.03.2013
11	राजेश कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव	अमृतसर	04.03.2013
12	अमित रंजन	निजी सचिव	जयपुर	04.03.2013
13	रेशमा नाहिद	वरिष्ठ निजी सचिव	दिल्ली	04.03.2013
14	सुनील कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	05.03.2013
15	शशि शेखर कुमार	निजी सचिव	मुंबई	07.03.2013
16	टी. बिजू	निजी सचिव	राजकोट	07.03.2013
17	शरद कुमार श्रीवास्तव	निजी सचिव	मुंबई	12.03.2013
18	अखिलेश कुमार	निजी सचिव	मुंबई	12.03.2013
19	आशीष कुमार सिंह	निजी सचिव	मुंबई	12.03.2013
20	अभिनव गौर	निजी सचिव	चंडीगढ़	14.03.2013
21	प्रमोद कुमार	निजी सचिव	मुंबई	19.03.2013
22	बिनीता रूकैय्यार	निजी सचिव	दिल्ली	22.03.2013
23	एस. शेषाद्री लगडुवान	वरिष्ठ निजी सचिव	पणजी	25.03.2013
24	राजेश कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	05.04.2013
25	प्रभात कुमार केशरवानी	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	12.04.2013
26	सुबोध कुमार	निजी सचिव	मुंबई	12.04.2013
27	जी.सी. वेंकट सुब्बा रेड्डी	वरिष्ठ निजी सचिव	पुणे	23.05.2013
28	अजय कुमार केवट	वरिष्ठ निजी सचिव	दिल्ली	03.05.2013
29	कमलेश कुमार मौर्य	निजी सचिव	मुंबई	16.05.2013
30	हेमा किशोर जक्का	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	01.08.2013
31	घनश्याम मौर्य	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	30.08.2013
32	वेक्कम रामबाबू	वरिष्ठ निजी सचिव	जोधपुर	16.08.2013

वर्ष 2013 में माननीय सदस्यों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	डी.के. अग्रवाल	न्यायिक सदस्य	मुंबई	28.02.2013
2	जी.ई. वीरभद्रप्पा	उपाध्यक्ष	मुंबई	26.07.2013
3	आर.के. गुप्ता	न्यायिक सदस्य	मुंबई	07.10.2013
4	राजेन्द्र सिंह	लेखा सदस्य	मुंबई	14.11.2013
5	मेहर सिंह	लेखा सदस्य	चंडीगढ़	07.04.2013
6	ए.एल. गहलोत	लेखा सदस्य	आगरा	29.08. 2013
7	के.एस.एस. प्रसाद राव	न्यायिक सदस्य	कट्टक	11.03.2013
8	किशोर के. गुप्ता	लेखा सदस्य	कट्टक	24.11.2013

वर्ष 2013 में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	यू.एस. दिवेदी	सहायक पंजीकार	इलाहाबाद	31.12.2013
2	अमिला सल्दाना	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	31.07.2013
3	यू.टी. सत्यन	वरिष्ठ निजी सचिव	पुणे	03.09.2013
4	मंजु गौर	वरिष्ठ निजी सचिव	दिल्ली	28.02.2013
5	एस.के. भटनागर	वरिष्ठ निजी सचिव	दिल्ली	30.04.2013
6	एच.के. पाढी	वरिष्ठ निजी सचिव	कट्टक	31.03.2013
7	एम.एस. पिल्लै	वरिष्ठ निजी सचिव	बेंगलूरू	31.05.2013

वर्ष 2013 में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	बी.एस. मुले	कार्यालय अधीक्षक	पुणे	31.05.2013
2	पी.एम. बोंडडे	उच्च श्रेणी लिपिक	पुणे	31.03.2013
3	एस.बी.रेदास	कार्यालय अधीक्षक	अहमदाबाद	30.04.2013
4	एम.एल. पाली	वरिष्ठ चपरासी	अहमदाबाद	31.07.2013
5	एन.एम. परमार	प्रधान लिपिक	अहमदाबाद	31.10.2013
6	शिवलाल	दफ्तरी	इंदौर	30.09.2013
7	ऋषि भगत	वरिष्ठ चपरासी	चंडीगढ़	31.03.2013
8	जागीर सिंह	चपरासी	अमृतसर	31.07.2013
9	हरि शंकर	वरिष्ठ चपरासी	जयपुर	31.05.2013
10	आदेश सिंह	दफ्तरी	दिल्ली	31.01.2013
11	एम.सी. जोशी	प्रधान लिपिक	दिल्ली	31.03.2013
12	संत राम	स्टाफ कार ड्राइवर	दिल्ली	31.07.2013
13	एस.एस. रावत	कार्यालय अधीक्षक	दिल्ली	30.09.2013
14	महावीर सिंह	दफ्तरी	आगरा	31.12.2013
15	बी. रे	वरिष्ठ चपरासी	पटना	31.10.2013
16	जॉर्ज टोपनो	प्रधान लिपिक	रांची	31.12.2013
17	नीलु राज	वरिष्ठ चपरासी	कट्टक	31.03.2013
18	एन. दास	प्रधान लिपिक	गुवाहाटी	30.06.2013
19	आर.सी. मेधी	प्रधान लिपिक	गुवाहाटी	30.11.2013
20	एस.ए. खादर	स्टाफ कार ड्राइवर	हैदराबाद	31.08.2013
21	एन. जॉन राबर्ट	स्टाफ कार ड्राइवर	बेंगलूरू	30.04.2013
22	पी.के. रवीन्द्रन	प्रधान लिपिक	कोचीन	31.05.2013

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ में सितंबर, 2013 में आयोजित हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं के प्रथम पुरस्कार विजेताओं की सूची

क्रम सं.	प्रतियोगिता	आयोजिन की तिथि	प्रथम पुरस्कार विजेता	पदनाम
1	प्रश्नमंच प्रतियोगिता	16.09.2013	श्री अमित कुमार	अवर श्रेणी लिपिक
2	निबंध प्रतियोगिता	17.09.2013	श्रीमती शीतल घोटगे	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)
3	अनुवाद प्रतियोगिता	19.09.2013	श्रीमती सीतालक्ष्मी मुदलियार	प्रधान लिपिक
4	स्मरण प्रतियोगिता	20.09.2013	सुश्री शीतल जाधव	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)
5	टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता	23.09.2013	श्रीमती ऊषा भालचंद्र वारंग	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)
6	हिंदी में सर्वाधिक कार्य निष्पादन प्रतियोगिता	23.09.2013	श्रीमती समिधा सूरज कदम	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)
7	गीत गायन प्रतियोगिता	24.09.2013	श्री प्रशांत वराडकर	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)
8	अंताक्षरी प्रतियोगिता	25.09.2013	श्रीमती स्मिता येवले एवं श्रीमती उल्का परब	प्रधान लिपिक एवं सहायक
9	टंकण प्रतियोगिता	28.09.2013	श्रीमती मिलन गौतम पाटिल	अवर श्रेणी लिपिक(तदर्थ)

वर्ष 2013 में प्रकाशित बुलेटिन के सर्वश्रेष्ठ रचना हेतु पुरस्कृत विजेताओं की सूची।

क्रम सं.	पुरस्कार	विजेता का नाम	पदनाम
1	प्रथम पुरस्कार	श्री अशोक सिंह	उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर पीठ
2	द्वितीय पुरस्कार	श्रीमती सरोजबाला	कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़ पीठ
3	तृतीय पुरस्कार	श्री विनोद पाटनकर	स्टाफ कार चालक, इंदौर पीठ
4	विशेष पुरस्कार	श्री ए.जे. जोशी	मुख्य लिपिक, अहमदाबाद पीठ
5	विशेष पुरस्कार	श्री अभिराम कुमार	अवर श्रेणी लिपिक, हैदराबाद पीठ

आयकर अपीलीय अधिकरण 'बी' न्यायपीठ, चेन्नै में

डॉ ओ.के. नारायणन, उपाध्यक्ष एवं श्री विकास अवस्थी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.स. 124/मद्रास/2013

निर्धारण वर्ष 2008-09

सहायक आयुक्त, आयकर सर्कल-2, त्रिची (अपीलार्थी)	बनाम	श्री अरोकियासामी जोसफ, नं. 20, एडा स्ट्रीट, पालक्करई, त्रिची- 620 008 PAN AAHPJ7934K (प्रत्यर्थी)

अपीलार्थी की ओर से	डॉ. एस. मोहाराणा, आई.आर.एस., सीआईटी
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एम. नारायणन

सुनवाई की तिथि	21.05.2013
उदघोषणा की तिथि	21.05.2013

<u>आदेश</u>

<u>डॉ ओ.के. नारायणन, उपाध्यक्ष के अनुसार</u>

यह अपील राजस्व के द्वारा फाइल की गई है। संबंधित निर्धारण वर्ष 2008-09 है। यह अपील आयकर आयुक्त (अपील) तिरूचीरापल्ली के आदेश दि. 19.10.2012 के विरूद्ध निदेशित है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन पारित निर्धारण आदेश से उत्पन्न हुई है।

2. इस अपील में, एक संपति जिसमें निर्धारिती का 1/8 भाग सात अन्य लोगों साथ था संबंधित निर्धारण वर्ष में विक्रय की गई थी। निर्धारिती ने अपने 1/8 भाग के तहत उस विक्रय से हुई कैपिटल गेन्स के अंतर्गत रू. 4,13,013/- घोषित की।

3. किंतु निर्धारण अधिकारी ने लांग टर्म कैपिटल गेन्स की गणना करते हुए विक्रय की आवधारणा को परिवर्तित करते हुए उप-पंजीयक के अभिलेख में दर्शित मूल्य रू.490/- प्रति वर्ग फीट का आधार मानते हुए मूल्य का निर्धारण किया। निर्धारण अधिकारी ने धारा 50सी का आश्रय न लेते हुए यह प्रक्रिया अपनाई।

4. निर्धारण अधिकारी ने संपत्ति का दि. 01.04.1981 में बाजार भाव का मूल्य समाहित किया। निर्धारिती के द्वारा दर्शाया गया मूल्य सत्यापन रिपोर्ट रू. 58/- प्रति वर्ग फुट के आधार पर था। जिसे कि निर्धारण अधिकारी ने उप-पजीयक के अभिलेख के आधार पर रु.2/- प्रति वर्ग फुट धारित किया था इस तरह से दोहरे परिवर्तन के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के हाथों रू. 43,10,566/- लांग टर्म कैपिटल गेन्स की शेयर की गणना की।

5. प्रथम अपील में, आयकर आयुक्त (अपील्स) ने यह अवलोकित किया कि स्टांप डयूटी के पंजीकरण के उद्देश्य से धारा 50सी की आवश्यकता यह है कि धारित किया गया मूल्य प्रतिस्थापित किया जाए। उन्होने यह अवलोकित किया कि विक्रय की अवधारणा के लिए धारा 50सी के लिए उसी दर की मार्ग-दर्शिका मूल्य का कोई अनुप्रयोग किया गया है। उन्होने आगे यह अवलोकित किया है कि संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प डयूटी प्राधिकारी द्वारा धारा 50सी के अंतर्गत निर्धारित किए गए मूल्य सांविधिक प्राधिकारी है तथा जब उक्त प्राधिकारी के द्वारा विक्रय धारित का मूल्य सुनिश्चित किया गया है तथा दस्तावेज में अभिलेखित एवं स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित मूल्यों में कोई अंतर नही है तो धारा 50सी के प्रयोग लागू नहीं है। तदनुसार, उन्होने निर्धारण अधिकारी के द्वारा लगाए गए योग को हटा दिया।

6. दि. 01.04.1981 के बाजार भाव के प्रश्न में आयकर आयुक्त(अपील्स) ने रू. 58/- प्रति वर्ग फुट का मूल्य स्वीकार किया है जिसे निर्धारिती ने धारित किया है जो कि निर्धारण अधिकारी के द्वारा धारित किया गया मूल्य रू. 2/- प्रति वर्ग फुट की तुलना में उक्त मूल्य अधिक यथार्थ परक है।

7. राजस्व इससे पीडित होकर हमारे समक्ष अपील में है।

8. वर्तमान अपील में राजस्व के द्वारा उठाए गए आधार निम्न रुप से पढ़ा जा सकता है।

" 1. यह कि विद्वान आयकर आयुक्त(अ) ने तथ्यों को उपेक्षित करते हुए निर्धारण अधिकारी के द्वारा धारित दस्तावेज क्र. 2008 का 1455 (अनु. बी-17972 वर्ग फीट" के द्वारा विक्रय किए गए संपत्ति के विक्रय डीड के रू. 23,93,280/- को निदेशित करने में त्रुटी की है। दस्तावेज क्र.2007 का 5343 तथा 2008 का 1455 आदि के अवस्थिति के सादृश्य भूमि हस्तांतरण के शर्तों का ध्यान रखते हुए निर्धारण अधिकारी ने इस बात को दरकिनार करते हुए कि भूमि के सभी तीनों टुकड़ों को रू. 467/- प्रति वर्ग फुट के दर से विक्रय किए जाने पर रू. 490/- प्रति वर्ग फुट के उसी दर को धारित किए जाने में उचित हैं।

2. यह कि आयकर अधिनियम 196,1 की धारा 50सी का आश्रय न लेते हुए, निर्धारिती के द्वारा स्वेच्छा से स्वयं के द्वारा दि. 28.12.2010 के प्रस्तुति के परिप्रेक्ष्य में विद्वान आयकर आयुक्त(अ) ने दस्तावेज क्र. 2008 का 1455(अनु. बी3-12263 वर्ग फीट) के द्वारा विक्रय किए गए के अनुसार के द्वारा संपत्ति विक्रय डीड के मूल्य रू. 29,43,120/- को तथ्यों को उपेक्षित करते हुए निर्धारण अधिकारी को यह निदेशित करने में त्रुटि की है कि इस भूमि के संबंध में रू. 467/- प्रति वर्ग फुट धारित किए जाने में उचित है।

3ए) यह कि उप संयुक्त पंजीयक छावनी त्रिची के पत्र दि. 13.12.10 के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने (74685 वर्ग फुट क्षेत्र) दि. 01.04.81 को रू. 2 प्रति वर्ग फुट के तथ्यों को उपेक्षित करते हुए उचित बाजार भाव को धारित करते हुए निर्धारण अधिकारी के द्वारा दि. 01.04.1981 में भूमि के उचित बाजार भाव रू. 58 प्रति वर्ग फुट को धारित करने के लिए विद्वान आयकर आयुक्त (अ) द्वारा निर्धारण अधिकारी को निदेशित करने में त्रुटि की है। आगे निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के द्वारा कर निर्धारण की कार्यवाही के दौरान फाइल किए गए संशोधित कार्य के अनुसार (14550 वर्ग फुट क्षेत्र) को रू. 43/- प्रति वर्ग फुट धारित किया है।

3बी) यह कि विद्वान आयकर आयुक्त(अ) ने स्वीकृत मूल्यांकनकर्ता के रिपोर्ट को विचारित नही किए जाने में त्रुटि की है। यहां पर धारित किए गए मूल्य के आधार का कोई भी साक्ष्य नहीं है।

3सी) यह कि विद्वान आयकर आयुक्त(अ) इस तथ्य को विचारित किए जाने में असफल रहे कि वर्तमान मामला माननीय क्षेत्राधिकारित उच्च न्यायालय के सीआईटी बनाम जेवीके राव (250आईटीआर 90) में दिए गए निर्णय से पूरी तरह से अनुप्रायोगिक है।

9. राजस्व की ओर से मौजूद विद्वान आयकर आयुक्त डॉ एस. मोहाराणा तथा निर्धारिती प्रत्यर्थी की ओर से मौजूद श्री एम नारायणन को हमने सुना।

10. धारा 50सी के अनुप्रयोग के संबंध में हम आयकर आयुक्त (अपील) से सहमत है कि उक्त धारा यहां लागू नहीं होगी जहां विक्रय की अवधारणा स्टाम्प डयूटी प्राधिकारी के मार्ग दर्शिका के मूल्य के अनुसार निर्धारित की गई हो। इस तरह के मामले में निर्धारण अधिकारी के द्वारा उच्च धारण की कोई राशि प्राकलित किया जाना संभव नहीं है। आयकर आयुक्त(अपील्स) का आदेश इस मामले में सही एवं न्यायसंगत है।

11. दि. 01.04.1981 के उचित बाजार भाव के मामले में इसका कोई न्यायसंगत तर्क नहीं है कि कोई मार्गदर्शिका मूल्य धारित किया गया हो क्योंकि निकाला जाने वाला मार्गदर्शिका मूल्य ठीक दि. 01.04.1981 को नहीं बनाया गया था। उस तिथि का मूल्य पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है। इसलिए अपनाए गए मानक अत्यधिक सावधानी से लिए जाने चाहिए थे। वर्तमान मामले में निर्धारिती ने उसी तरह का सादृश्य मामला प्रस्तुत किया है जहां पर कि दि. 01.04.1981 का उचित बाजार मूल्य निर्धारिती के द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्य से तुलना किए जाने योग्य है। इन परिस्थितियों में आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 01.04.1981 की तिथि को लिए गए उचित बाजार भाव को रू. 58/- प्रति वर्ग फुट लेने में सही एवं उपर्युक्त है। आयकर आयुक्त (अपील) के द्वारा लिए गए उक्त निर्णय में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. परिणामतः राजस्व के द्वारा फाइल की गई यह अपील खारिज की जाती है।

आदेश की घोषणा मंगलवार के दिन दि. 21 मई, 2013 को चेन्नै में किया गया।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विकास अवस्थी)	(डॉ. ओ.के. नारायणन)
न्यायिक सदस्य	उपाध्यक्ष

<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य एवं श्री आर.सी. शर्मा, लेखा सदस्य के समक्ष

आय.अपी.सं. 110/इंदौर/2013
निर्धारण वर्ष 2005-06

चेतन गुरानी, उज्जैन स्था. ले.स. एएचडब्लूपीजी 0882डी (अपीलार्थी)	बनाम	आयकर अधिकारी 1(1), उज्जैन (प्रत्यर्थी)

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एस. देशपांडे
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर.ए. वर्मा
सुनवाई की तिथि	17.06.2013
उद्घोषणा की तिथि	17.06.2013

<u>आदेश</u>

<u>श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

1. निर्धारिती विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, उज्जैन द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि. 15 अक्टूबर, 2012 से व्यथित है। निर्धारिती द्वारा लिया गया पहला आधार दाल की कम उपज के लिए निर्धारिती द्वारा दर्शित 73.71प्रतिशत के विरूद्ध उपज 74 प्रतिशत पर आंकलित करके किए गए रू.1,20,112/- के परिवर्धन से संबंधित है। श्री एस.एस. देशपांडे, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का सार लिए गए आधार के समरूप इसके अतिरिक्त यह निवेदन करते हुए हैं कि उपज का आकलन अत्यधिक है। दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि, श्री आर.ए. वर्मा ने परिवर्धन का बचाव किया।

2. हमने दोनों ओर के वरोधी निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने चना दाल की उपज 74 प्रतिशत पर आंकलित करते समय समान कार्यक्षेत्र/ इसी व्यवसाय में व्यवहार कर रहे अन्य संस्थाओं के साथ तुलना की जिसमें में. रानी सती पल्सेस तथा मे. गोपाल इंडस्ट्रीज ने उपज 74 प्रतिशत से 76.78 प्रतिशत तक दर्शायी थी। निर्धारिती ने वर्ष के दौरान, सकल लाभ पूर्ववर्ती वर्षों में दर्शाए गए 7.34 प्रतिशत की तुलना में 6.60 प्रतिशत दर्शाया था। निर्धारिती के असामान्य नमी संबंधी तर्क पर पहले ही विचार किया गया है। वहां अविवादित निष्कर्ष है जो निर्धारिती द्वारा स्वयं ही दिए गए पत्रक से प्रकट हो रहा है कि निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारिती ने स्वयं ही उपज आक्षेपित वर्ष में 73.12 प्रतिशत के विरूद्ध 74.68 प्रतिशत पर दर्शायी थी। जहां तक निर्धारिती का तर्क है उपज की दूसरी संस्थाओं से तुलना नहीं की जा सकती (ऊपर चर्चा की गई है), हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि नमी का घटक समान रहेगा क्योंकि यह मौसम की स्थिति पर निर्भर होता है। ऐसी स्थिति नहीं है कि अन्य संस्थाएं दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा रखे गए उत्पादन रजिस्ट्रर में लिप्त लेखन (ओवरराइटिंग) भी पाया गया था। जहां तक निर्धारिती का तर्क है कि अन्य मिल जिनके साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा तुलना की गई थी, अधिक अनुभवी थी, भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह निर्धारिती के व्यवसाय का प्रथम वर्ष नहीं है। आदेश में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष है कि निर्धारिती का अत्यधिक नमीं का दावा साबित नहीं किया जा सका था। तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे पर निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में कोई न्यायोचित्य नहीं पाते हैं, अतः निर्धारिती के इस आधार में कोई गुणागुण नहीं है, अतः खारिज किया जाता है।

3. अगला आधार दूरभाष व्ययों में से वैयक्ति उपयोग लेखे रू. 5,000/- की अस्वीकृति से संबंधित है। निर्धारिती ने उसके लेखा में दूरभाष व्यय लेखे रू. 27,689/- नामे किए थे। आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष है कि निर्धारिती कोई लांग बुक नहीं रख रहा था और निर्धारिती यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि दूरभाष व्यय पूर्णतः एवं अनन्यतः व्यवसायिक उद्देश्यों से किए गए थे। इस प्रकार, रू. 5000/- के परिवर्धन की पुष्टि की गई थी। हमारे समक्ष तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम परिवर्धन को रू. 2500/- तक घटाते हैं।

4. अगला आधार न्यून घरेलू व्यय लेखे रू. 40,000/- के परिवर्धन से संबंधित है। वहां अविवादित निष्कर्ष था कि संयुक्त परिवार में 8 सदस्य थे और निकासी रू. 1,58,000/- की गई थी। निर्धारिती का रू. 2.5 करोड़ से ज्यादा का व्यापारावर्त है, वह दो हीरो होण्डा मोटरसाईकिल रख रहा है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, परिवर्धन आयकर आयुक्त(अ) द्वारा कायम रखे गए रु. 40,000/- के स्थान पर रू. 20,000/- तक घटाया जाता है। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा निर्णय केवल इस वर्ष के तथ्यों से संबंधित है और इसे आगे संदर्भ रुप में निर्दिष्ट ने किया जाए क्योंकि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र है।

5. जहां तक धारा 234 बी के अधीन ब्याज प्रभारित करने का संबंध है, यह पारिणामिक प्रकृति का है।

6. परिणामतः निर्धारिती की अपील आंशिक रुप से स्वीकृत की जाती है।
7. यह आदेश खुले न्यायालय में 17.06.2013 को उद्घोषित किया गया।

हस्ता/- (आर.सी. शर्मा) लेखा सदस्य	हस्ता/- (जोगिन्दर सिंह) न्यायिक सदस्य

दिनांक 18.06.2013

आयकर अपीलीय अधिकरण, आगरा न्यायपीठ, आगरा

श्री भवनेश सैनी, न्यायिक सदस्य एवं श्री ए.एल. गहलोत, लेखा सदस्य के समक्ष

आई.टी.ए.नं. 123/आगरा/2011
निर्धारण वर्ष 2000-01

अतिरिक्त आयकर आयुक्त(नि.अधि.) क्षेत्र- 2 फर्रूखाबाद (अपीलार्थी)	बनाम	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक कोर्ट रोड, मैनपुरी (स्था.ले.सं. अअबसक4565जी) (प्रत्यर्थी)

अपीलार्थी की ओर से- श्री वसीम अरशद, वरिष्ठ विभा.प्रति.
प्रत्यर्थी की ओर से- श्री राकेश कुमार जैन, सी.ए.
सुनवाई की तिथि- 20.06.2013
आदेश सुनाने की तिथि- 28.06.2013

आदेश

श्री ए.एल. गहलोत, लेखा सदस्य द्वारा

यह विभागीय अपील विद्वान *आयकर आयुक्त (अपील)* गाजियाबाद के आदेश दि. 04.02.2011, निर्धारण वर्ष 2000-01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2.विभाग ने अपील के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया है।

1. *विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) (इसके बाद इस आदेश में इसको आ.आ.(अ) संबोधित किया जाएगा) द्वारा रू. 5,61,60,000/- की गई वृद्धि को समाप्त करने में कानून एवं तथ्यात्मक त्रुटि करते हुए तथा अनुदान राशि की प्रकृति पूंजीगत मानते हुए, इस तथ्य को नजरंदाज किया कि यह अनुदान बैंक में द्रवता बनाए रखने एवं बैंक संचालन की कमी को दूर करने के लिए दिया गया था।*

2. *विद्वान आ.आ.(अ) ने रू. 5,61,60,000/- की पूंजी को अनुदान के रूप में मानकर वृद्धि को समाप्त करने की त्रुटि की है। उन्होने इस तथ्य को नजरंदाज करते हुए कि इसका प्रयोग परिसंपत्तियां खरीदने के रुप में नहीं हुआ बल्कि इसका प्रयोग बैंक के प्रतिदिन बैंक संचालन में हुआ है।*

3. *विद्वान आ.आ.(अ) ने रु.5,61,60,000/- की पूंजी प्राप्ति को सहायता के रूप में मानकर योग को समाप्त कर कानून में त्रुटि की है जबकि अधिकृत पूँजी राशी 1करोड़ हो तब इस पूँजी को स्वाभाविक कैसे माना जा सकता है।*

4. *विद्वान आ.आ.(अ) ने निर्धारिती के अपने मामले में नि. वर्ष 2001-02 में वृद्धि की पुष्टि की परंतु यहां वृद्धि को समाप्त कर दिया। इस प्रकार आदेश अनुचित है।*

5. *करदाता को अपील के आधार को उनके समक्ष अथवा मामले की सुनवाई के समय बदलने की, जोड़ने की, परिवर्तित करने की छुट प्रदान का निवेदन करते हैं।*

3.संक्षेप में मामले का तथ्य यह है कि करदाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आयकर अधिकारी ने कर निर्धारण की कार्यवाही के दौरान पाया कि निर्धारिती ने रूपया 5,61,60,000/- का अनुदान प्राप्त किया है। आयकर अधिकारी ने उस अनुदान को राजस्व की प्राप्ति माना और रू. 5,61,60,000/- को करयोग्य आमदनी में जोड़ दिया। करदाता ने विद्वान आय.आयु(अ) के समक्ष आयकर अधिकारी के आदेश को चुनौती दी। विद्वान आय.आयु(अ) ने अपने आदेश पारित करते समय आयकर अधिकारी के निर्धारण आदेश की छाया प्रति करवाई और छाया प्रति के पृष्ठों पर अपने आदेश का शीर्षक बनवाया। उसके बाद करदाता द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों की प्रति उतारी तथा उसके बाद करदाता द्वारा प्रपत्र प्रसतुत किए विद्वान आ.अ.(अ) ने कुछ आदेशों को टंकण और कुछ को छायाप्रति कर आदेश पर पेस्ट किया। तत्पश्चात आय.अ.(अ) ने निम्न निर्णय दिया (पृष्ठ सं. 14, खंड सं. 5.2)

> ***"5.2 कन्सीडरिंग ऑल फेक्टस एंड रेस्पेक्टफुली फालोइंग दी व्यूज टेकेन बाय सी.आई.टी (ए) एंड आई.टी.ए.टी., आई डिसाइड दिस इसू इन फेवर ऑफ एपलीकेंट"***

4.हमने दोनो पक्षों के विद्वान प्रतिनिधियों को सुना और अभिलेखों को देखा। आ.आ.(अ) आदेश धारा 250(6) आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप नहीं है। जो कि अधोलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है। धारा 250(6) अधिनियम के अनुसार आ.आ.(अ) अपने आदेश में लिखित रूप से अपील का निपटारा करेगा और अवधारणा के बिंदु पर अपील का निर्णय उसके आधारों व कारणों पर करेगा लेकिन विचाराधीन अपील में आ.आ.(अ) का निर्णय मुद्दे के बिंदुओं की अवधारणा, उसके कारणों व आधारों के बिना केवल दो पंक्तियों में दिया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2001-02 में आ.आ.(अ) ने ऐसा ही आदेश पारित किया जो आयकर अपीलीय अधिकरण, आगरा न्यायपीठ, आगरा ने आई.टी.ए. नं. 215/आगरा/2005 आदेश दि. 10.09.2008 को पुनः विचार के लिए आ.आ.(अ) को भेजा गया। सभी तथ्यों को देखने के बाद हम आ.आ.(अ) के निर्णय को अपास्त करते हैं, और मामले को पुनः आ.आ(अ) इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि वह दोनो पक्षों को सुनवाई हेतु उचित अवसर प्रदान करते हुए मुददे को कानून के अनुरूप ताजे रुप में निर्णित करें।

5.परिणामस्वरुप राजस्व की अपील को सांख्यकीय उद्देशय से स्वीकार किया जाता है।
(आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया गया।)

हस्ता/-
(भवनेश सैनी)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(ए.एल.गहलोत)
लेखा सदस्य

श्री.एच.एल.कारवा, माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा माननीय श्री टी.डी. सुगला साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिया गया भाषण

माननीय उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायधीश श्री टी.डी. सुगला (पूर्व अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण) के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ में शुक्रवार, दि. 22.11.2013 को प्रातः 10.30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया। उक्त शोकाकुल कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

आज हम सभी आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ और बार एसोशिएशन के सदस्यगण व्यथित ह्रदय से श्री ठाकुर दास सुगला जी, भूतपूर्व न्यायधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण के दि. 13 नवंबर, 2013 को हुए आक्समिक निधन पर उस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। आज यहां उनका शोक संतप्त परिवार भी उपस्थित है।

न्यायमूर्ति श्री ठाकुरदास सुगला जी का जन्म 08 मई, 1929 को हरियाणा के भिवानी कस्बा में हुआ था। उन्होने बी.ए., एल.एल.बी की डिग्री प्राप्त की तथा सन 1954 में कलकता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रुप में नामांकित हुए और उन्होने कोलकाता उच्च न्यायालय में अपना प्रैक्टिस प्रारंभ किया। सन 1954 से 1966 तक वे मुख्य रुप से आयकर अपीलीय अधिकरण एवं कोलकाता उच्च न्यायलय के आयकर संबंधी मामलो में ही उपस्थित होते रहे तथा अप्रैल, 1967 में वह आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्त हुए और इलाहाबाद एवं कोलकाता पीठ में उन्होने कार्य किया। सन 1975 में श्री सुगला जी आयकर अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्ष बने एवं 1975 से 1979 तक बॉम्बे पीठ में इस पद पर कार्यरत थे। दि. 01 जनवरी, 1980 को वह आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष बने। दि. 24.06.1986 को उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीश के रुप में नियुक्त हुए एवं दि. 09 दिसंबर, 1986 को नियमित न्यायधीश बने। दि. 08.05.1991 को न्यायधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए।

इनके परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी सुगला जी हैं। इनकी पांच संतान हैं जिनमें 02 बेटियां तथा 03 बेटे हैं। इनकी बडी बेटी श्रीमती आशा सुगला का विवाह दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री बी.आर. कनाडिया के साथ हुआ है। दूसरी बेटी सुश्री वीणा जैन अमेरिका में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। इनका सबसे बड़ा पुत्र श्री शशि भूषण दिल्ली में एक जाने-माने व्यवसायी हैं, द्वितीय पुत्र श्री रवि सुगला मुंबई में ही रहते हैं एवं तृतीय पुत्र श्री विजय सुगला आईटी लैब अमेरिका में वैज्ञानिक हैं।

चूंकि श्री सुगला जी 24 जून, 1986 में ही आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष पद से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायधीश के पद पर नियुक्त हो गए थे। अतः अधिकरण के वर्तमान सदस्यों में से किसी को भी श्री सुगला जी के साथ काम करने का अवसर तो नहीं मिला परंतु जबसे मैंने आयकर अपीलीय अधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया है तभी से मुझे उस समय के अधिकरण के पुराने सदस्यगण तथा बार सदस्यों के मुख से श्री सुगला जी के बारे में जानने का अवसर मिला। अधिकरण के न्यायिक सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीश के तौर पर श्री सुगला जी द्वारा प्रत्यक्ष कर पर लिए गए फैसलों को अक्सर सुनवाई के दौरान मुझे पढ़ने और सुनने का मौका मिला है। आज उनके फैसलों का उल्लेख करते हुए हमें गर्व का अनुभव होता है। इसके साथ ही आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा हमें उनके बहु आयामी व्यक्तित्व के बारे में पता चला। श्री सुगला जी के बारे में हमने हमेशा प्रशंसा के ही शब्द सुने हैं साथ ही यह भी जानने को मिलता है कि श्री सुगला जी एक सच्चे, नेकदिल, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, विशाल ह्रदय एवं महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे।

उनके द्वारा लिखित एवं प्रकाशित फैसलों के अध्ययन से हमें कानून एवं विधि संबंधी मामलों में उनके गूढ़ ज्ञान और मजबूत पकड़ के बारे में पता चलता है। किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले तर्क, विधि संबंधी दृष्टिकोण, मामले की गहराई को समझने की उनकी पूर्णरूपेण समझ आदि से हमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में ज्ञात होता है। विषय की गहनता और उसके सार को समझने की अलौकिक क्षमता से उनका उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। श्री सुगला जी एक परिपूर्ण वकील एवं परिपक्व और

उत्कृष्ट न्यायधीश थे जो मृत्युपर्यंत बेदाग रहे। आज भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यदि हम उनके जीवन से कुछ सीखें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

आयकर अपीलीय अधिकरण जैसे महान संस्थान के अध्यक्ष के रुप में इस संस्थान के हितों का ध्यान में रखते हुए इसे उन्नति की ओर ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं बार के सदस्य श्री सुगला जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रुप में श्री सुगला जी द्वारा दिए गए निर्णयों को पढ़ कर हमें आयकर अपीलीय अधिकरण में चल रहे मामलों को निपटाने में महत्वपूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।

श्री ठाकुर दास सुगला जी के दुखद निधन पर हमें अत्यंत दुख हो रहा है, हम हृदय की गहराइयों से शोक प्रकट करते हैं एवं दुख से संतप्त उनके परिवार के प्रति हार्दिक सहानभूति प्रकट करते हैं।

हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को अचानक आ पड़ी इस विपदा से लड़ने की शक्ति प्रदान करें एवं श्री ठाकुर दास सुगला जी की आत्मा को शांति प्रदान करें।

आ.अ.अ., मुंबई में हिन्दी पखवाड़ा-2013 के छायाचित्र

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में मंच पर आसीन
श्री एच.एल. कारवा, माननीय अध्यक्ष,
श्री राजेन्द्र, माननीय अध्यक्ष, रा.भा.का.स., मुंबई,
श्री डी. मनमोहन, माननीय उपाध्यक्ष

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए
श्री एच.एल. कारवा, माननीय अध्यक्ष

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में भाषण देते हुए
श्री राजेन्द्र, माननीय अध्यक्ष, रा.भा.का.स., मुंबई

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन
में कविता प्रस्तुत करते हुए अतिथि कवि, श्री देवमणि पांडे

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में आयोजित कवि सम्मेलन में कविता
प्रस्तुत करते हुए अतिथि कवि श्री रास बिहारी बोस

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में कवि सम्मेलन का आनंद उठाते हुए
आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ के अधिकारी एवं कर्मचारी।

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में कवि सम्मेलन का आनंद उठाते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ के अधिकारी एवं कर्मचारी।

हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में विजित प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री एच.एल. कारवा, माननीय अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकार कार्यालय) कोलकाता
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE (CENTRAL GOVT. OFFICE) KOLKATA
नराकास सचिवालय
आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता

सत्यमेव जयते

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नराकास कोलकाता (केन्द्रीय सरकार कार्यालय) की दिनांक 06-03-2013 को आयोजित 42 वीं बैठक में अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर'12 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण (कोलकाता, न्यायपीठ) विभाग / कार्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड
एवं
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता
(केन्द्रीय सरकार कार्यालय)

दिनांक : 06-03-2013
स्थान : कोलकाता

आयकर अपीलीय आधिकरण, कोलकत्ता पीठ को राजभाषा कार्यान्वयन के श्रेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर कोलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय सरकार कार्यालय) कोलकत्ता द्वार प्रदान किया गया प्रशस्ति पत्र।